GOVERNMENT OF HARYANA
हरियाणा सरकार

बजट 2022-23

मनोहर लाल

मुख्य मन्त्री, हरियाणा
वित्त मन्त्री के रूप में

बजट भाषण, 8 मार्च, 2022

FINANCE DEPARTMENT, HARYANA
वित्त विभाग, हरियाणा

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं इस गरिमामयी सदन के समक्ष वर्ष 2022–23 के लिए राज्य बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः।
गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।।

अर्थात्

शक्तिशाली और सत्तातंत्र द्वारा सभी लोगों की भलाई न्यायपूर्वक हो!
ईश्वर सभी विद्वानों और भले लोगों का हर दिन शुभ करें!
सारे लोक सुखी हों!

1. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश 'आजादी का अमृत महोत्सव' के माध्यम से अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। मैं, प्रदेश के लोगों और सरकार की ओर से, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना निःस्वार्थ योगदान दिया तथा जिन्होंने गत 75 वर्षों में देश का मार्गदर्शन किया और सेवा की है। हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'आत्मनिर्भर भारत' के विज़न को पूरा करने के लिए वर्ष 2047 तक की यात्रा में भारत माता की नियति को आकार देने के अपने सामूहिक संकल्प और दृढ़ निश्चय पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

2. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। देश गत दो वर्षों में चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरा है। हमने मार्च 2021 से लगभग चार माह तक कोविड–19 की दूसरी लहर का सामना किया। हमारे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का इसकी सीमा तक विस्तार किया गया। इस महामारी में लोगों की जान चली गई और दूसरी लहर का गहरा आर्थिक प्रभाव भी अनुभव किया गया। परन्तु एक कहावत है कि ''कठिन परिस्थिति में व्यक्ति और भी मजबूत हो जाता है।'' हमने इस अप्रत्याशित चुनौती से निपटने के लिए अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, ऑक्सीजन उपलब्धता और दवा की आपूर्ति को सुदृढ़ बनाया। सरकार और नागरिक, हम दोनों ही एक–दूसरे का सम्बल बने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रेरणास्पद नेतृत्व में, देश ने इस महामारी

से लड़ने के लिए एक सक्रिय और जांची–परखी अनुक्रिया को अपनाया है। मैं, विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ।

3. माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा ने कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए रणनीतिक अन्तःक्षेप किए और ओमिक्रॉन वेरिएंट से आई तीसरी लहर से निपटने हेतु भी प्रभावी प्रबन्धन किया है। सरकार ने सभी, विशेषकर कमजोर वर्गों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के साथ बुनियादी रसद का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया। सरकार ने बुनियादी सुविधाओं यानी क्वारंटाइन सुविधाओं, परीक्षण सुविधाओं और सुरक्षात्मक उपकरणों आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की। महोदय, हमने न्यूनतम 1.08 प्रतिशत मृत्यु दर के साथ लगभग 97.2 प्रतिशत रिकवरी दर हासिल की है। राज्य सरकार द्वारा अब तक कुल 4.12 करोड़ टीके और 2.43 लाख एहतियाती टीके लगाए गए हैं।

4. महोदय, कमजोर और व्यापक सामाजिक–आर्थिक परिणामों के बावजूद, हमने आर्थिक विकास के अपने प्रयासों को नहीं छोड़ा। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट पहलों और 'आत्मनिर्भर भारत' प्रोत्साहन पैकेजों से विभिन्न वर्गों को आवश्यक सहायता प्रदान की गई। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को त्वरित आर्थिक विकास–पथ पर लाने के लिए कई पहल की हैं, जिन्हें राज्य ने अपनाया और उनका अनुसरण किया है। केंद्र सरकार ने ''अमृत काल'' में अगले 25 वर्षों में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु क्रियाशीलता के चार स्तंभों तथा निजी एवं सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहन देकर देश को विकास–पथ पर निरंतर गतिमान रखने का संकल्प लिया है।

5. अपने पिछले बजट में, सरकार ने एक स्पंदनशील और पुनरुत्थानशील हरियाणा के लिए चार प्रमुख रणनीतियों पर आधारित एक विज़न पेश किया था, जिनमें प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देना, मध्यावधि व्यय ढांचा–रिजर्व फंड का सृजन, परिणामोन्मुखी विकास और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। मैं इस अवसर पर इस सम्मानित सदन को अवगत करवाना चाहता हूँ कि तदनुसार सरकार ने गत एक वर्ष में अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। हमने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों को प्राथमिकता दी, आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए 8585 करोड़ रुपये का एक आरक्षित कोष

सृजित किया, सभी विभागों के लिए आउटपुट–आउटकम फ्रेमवर्क लागू किया, परिवार पहचान–पत्र (PPP) शुरू किया, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया तथा कार्यान्वयन एवं सेवा प्रदायगी में सुधार करने हेतु कई अन्य उपाय किए।

6. सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई पूंजीगत व्यय परियोजनाओं में कई गुणा वृद्धि हुई है। यह इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि वर्ष 2014 से नाबार्ड वित्त–पोषित परियोजनाओं में संवितरण चौगुणा हो गया है। हमने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में बहुपक्षीय वित्त–पोषण तक पहुंच बनाई है। हमने दिल्ली से पानीपत और करनाल तथा दिल्ली से हरियाणा सीमा–शाहजहांपुर–नीमराणा–बहरोड़ (SNB) तक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) हाई स्पीड रेल जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं। गन्नौर में भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मण्डी पर पुनः कार्य शुरू किया गया है। चिकित्सा बुनियादी ढांचे में व्यापक विस्तार हुआ है। बड़े पैमाने पर प्रमुख सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। हमने 5569 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की है।

7. माननीय अध्यक्ष महोदय, गत दो वर्षों की परम्परा के अनुसार, मैंने हरियाणा से सभी माननीय सांसदों और इस सदन के माननीय सदस्यों से बजट के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव देने का अनुरोध किया था, जिन्हें समुचित रूप से बजट प्रस्तावों में शामिल किया गया है। मैंने सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य के विभिन्न वर्गों–जैसे कि कृषि, उद्योग, विनिर्माण, सेवा और रियल एस्टेट, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों के 477 हितधारकों के साथ भी परामर्श किया ताकि अर्थव्यवस्था में उनके अनुभवों और योगदान के आधार पर उनके सुझाव शामिल किए जा सकें।

हरियाणा की पोस्ट–कोविड अर्थव्यवस्था का पुनर्स्थापन

8. सरकार ने कोविड–19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए विवेकपूर्ण वित्तीय उपाय किए हैं। सरकार ने राजस्व में कमी के बावजूद अर्थव्यवस्था में सकल मांग को बढ़ाने के लिए पूंजीगत अवसंरचना निवेश समेत अपने व्यय को लक्षित किया है। कुल मिलाकर, अर्थ–व्यवस्था की बहाली हेतु इस प्रकार के विस्तारित प्रति–चक्रीय राजकोषीय उपाय हमारी सरकार का प्रमुख केन्द्र–बिन्दु रहे।

9. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मैं, इस बजट को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हरियाणा के 3.4 प्रतिशत के वर्तमान योगदान को 4 प्रतिशत करके उनके इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत की विकास यात्रा में अग्रणी बनने के अवसर के रूप में देख रहा हूँ।

10. एक स्पंदनशील हरियाणा के लिए, यह रणनीति मुख्यतः तीन प्रमुख उद्देश्यों–अंत्योदय की भावना से सबसे गरीब का कल्याण, प्रभावी आय पुनर्वितरण रणनीतियों के साथ उत्पादकता में वृद्धि और रोजगार एवं उद्यमिता सृजन, की प्राथमिकता के आधार पर तैयार की गई है। हमने मांग को बढ़ाने के लिए पूंजीगत अवसंरचना निवेश बढ़ाने पर विशेष बल दिया है, जिसकी गुणक प्रभाव के साथ त्वरित आर्थिक पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा दृष्टिकोण विकेन्द्रीकृत शासन के सुदृढ़ीकरण और नागरिक–केंद्रित आर्थिक वृद्धि एवं विकास को मजबूत करने का है। इस बजट में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को दीर्घकाल में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उनके वित्तीय विकेन्द्रीकरण को सुदृढ़ करने पर अधिक बल दिया गया है।

हरियाणा में व्यापक आर्थिक विकास का रुझान और स्वरूप

11. वास्तव में, वर्ष 2014–2021 की अवधि के दौरान हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 6.47 प्रतिशत की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है, जो वर्ष 2014–15 के 3,70,535 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 5,88,771 करोड़ रुपये हो गया। दूसरी ओर, इसी अवधि के दौरान अखिल भारतीय वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 4.63 प्रतिशत की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर दर्ज की गई। परिणामस्वरूप, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा के GSDP का हिस्सा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। राज्य ने वित्त वर्ष 2021–22 में अपने वास्तविक GSDP में गत वर्ष की तुलना में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि की है।

12. विनिर्माण क्षेत्र पर निरंतर बल देने के परिणामस्वरुप वर्तमान मूल्यों पर कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित (GSVA) में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2021–22 में बढ़कर 33.2 प्रतिशत हो गई। वित्त वर्ष 2021–22 में उत्साहजनक रूप से GSVA में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 48.6 प्रतिशत, जबकि प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.2 प्रतिशत रही। राज्य की अर्थव्यवस्था

ने गत वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2021–22 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में वर्तमान मूल्यों पर क्रमशः 6.7 प्रतिशत, 25.3 प्रतिशत और 16.5 प्रतिशत तक सुधार दर्ज किया है।

13. द्वितीयक क्षेत्र में, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं। इसके अलावा, यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2011–12 में 61.61 प्रतिशत से धीरे–धीरे बढ़कर वर्ष 2021–22 में 69.33 प्रतिशत हो गई, जो हरियाणा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से की गई प्रगति को दर्शाता है।

बजट 2022–23

14. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022–23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूँ, जो संशोधित अनुमान 2021–22 के 1,53,384.40 करोड़ रुपये से 15.6 प्रतिशत की वृद्धि है। इस बजट परिव्यय में 61,057.36 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय और 1,16,198.63 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय शामिल है, जो क्रमशः 34.4 प्रतिशत और 65.6 प्रतिशत है। पिछले कुछ वर्षों से कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ा है, जबकि राजस्व व्यय के हिस्से में कमी आई है।

15. बजट अनुमान 2022–23 में, कुल राजस्व प्राप्तियां 1,06,424.70 करोड़ रुपये प्रक्षेपित हैं, जिनमें 73,727.50 करोड़ रुपये का कर राजस्व, 12,205.36 करोड़ रुपये का गैर–कर राजस्व, 8,925.98 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों का हिस्सा और 11,565.86 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान शामिल है। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत प्राप्तियां 5393.89 करोड़ रुपये प्रक्षेपित हैं।

16. मैंने इस वर्ष के बजट आवंटन को भी सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ जोड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,77,255.99 करोड़ रुपये के कुल बजट में से राज्य में कार्यान्वित की जा रही SDG से संबंधित योजनाओं के लिए 1,14,444.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनका विवरण एक अलग दस्तावेज में दिया गया है।

राजकोषीय मानक

17. माननीय अध्यक्ष महोदय, पंद्रहवें केंद्रीय वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वित्तीय घाटा GSDP के 4 प्रतिशत के अन्दर होना चाहिए। विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन से, कोविड–19 महामारी से

उत्पन्न संकट के बावजूद, हम बाजार की उधारी को लगभग 40,872 करोड़ रुपये की अनुमत सीमा के समक्ष लगभग 30,820 करोड़ रुपये तक सीमित रखने में सक्षम रहे और परिणामस्वरूप संशोधित अनुमान 2021–22 में राजकोषीय घाटा GSDP का 2.99 प्रतिशत रहने का अनुमान है। आगामी वित्त वर्ष 2022–23 के लिए भी, राजकोषीय घाटा 2022–23 के बजट अनुमानों के अनुसार GSDP के 2.98 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है, जो पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 3.5 प्रतिशत की सीमा के अन्दर है।

18. माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तरोत्तर केंद्रीय वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित राजकोषीय रोडमैप के अनुसार, मजबूत वित्तीय प्रबंधन और राज्य के वित्त की अच्छी स्थिति बनाए रखने के क्रम में, हमारी सरकार राजस्व घाटे में गिरावट की प्रवृत्ति को बनाए रखने में सफल रही है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए राजस्व घाटा संशोधित अनुमानों के अनुसार 1.40 प्रतिशत पर बना हुआ है और बजट अनुमान 2022–23 में GSDP के 0.98 प्रतिशत तक और कम होने का अनुमान है।

19. वित्त वर्ष 2021–22 (संशोधित अनुमान) के लिए, ऋण–GSDP अनुपात को 24.98 प्रतिशत पर रखकर कुल ऋण स्टॉक को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया है, जबकि पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा ळैक्च के 32.6 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गई है। आगामी वित्त वर्ष के लिए भी, ऋण स्टॉक पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित GSDP के 33.3 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से काफी कम रहने की सम्भावना है, यह जी.एस.डी.पी. का 24.52 प्रतिशत (बजट अनुमान 2022–23) है।

20. माननीय अध्यक्ष महोदय, पूंजीगत व्यय का आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। राज्य सरकार कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे इस सम्मानित सदन को यह अवगत करवाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्त वर्ष 2021–22 में राज्य में पूंजीगत परिसंपत्तियां सृजित करने के लिए किए जा रहे 48,265.49 करोड़ रुपये के उपयोग से कुल व्यय में पूंजीगत हिस्सा बढ़कर 31.5 प्रतिशत हो गया। वित्त वर्ष 2022–23 में, पूंजी हिस्सेदारी को 34.4 प्रतिशत और बढ़ाकर अपने पूंजीगत व्यय को 61,057.35 करोड़ रुपये करने का हमारा प्रस्ताव है।

21. पूंजीगत परिसंपत्तियों पर बजटीय व्यय के अलावा, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी राज्य में पूंजी बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुदृढ़ीकरण

के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश कर रहे हैं। राज्य के प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 5327.56 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की संभावना है। इसलिए, वित्त वर्ष 2022–23 में संचयी पूंजी निवेश 66,384.92 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

22. हमारी सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए ठोस प्रयास किए हैं। परिणामस्वरूप, लाभ वाले सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या में वृद्धि हुई है और पांच वर्ष की अवधि में उनका संचयी लाभ मार्जिन 562.88 करोड़ रुपये से लगभग तीन गुणा बढ़कर 1393.04 करोड़ रुपये हो गया है।

23. हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी.), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.), हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.) जैसे राज्य के कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करते हैं। सरकार ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रदान की जाने वाली सड़क, जलापूर्ति, जल निकासी जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव के लिए द्वारा उनके द्वारा 2000.00 करोड़ रुपये की राशि खर्च करना सुनिश्चित करेगी।

राजकोषीय समेकन

24. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार वित्तीय समेकन को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और प्रमुख विकास प्राथमिकताओं को पूरा करने के दोहरे उद्देश्यों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे पता है कि इन राजकोषीय लक्ष्यों को बनाए रखने के लिए मध्यम से दीर्घकालिक राजकोषीय समेकन हेतु ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में, सरकार संपत्ति रजिस्टरों के मिलान और चिह्नित की गई संपत्तियों के चरणबद्ध मुद्रीकरण का रोडमैप विकसित करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों की बैलेंस शीट के परिशोधन और गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एन.पी.ए.) को किसी संपत्ति वसूली कंपनी को हस्तांतरित करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी ताकि उनका वसूली योग्य मूल्य हासिल किया जा सके।

25. वित्तीय क्षेत्र को खोलने हेतु राजकोषीय समेकन विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सम्भावनाओं के द्वार खोलकर भी प्राप्त किया जा सकता है। हालाँकि

ऐसी रणनीतियों के लिए विकास को गति देने वाली विस्तारित नीतियां अपेक्षित हैं, यह महत्वपूर्ण है कि प्रति–उत्पादक राजकोषीय अपव्यय से बचने के लिए उन्हें उचित रूप से लक्षित किया जाए। इसके लिए, सरकार का तीन समर्पित कोष स्थापित करने का प्रस्ताव है–

i. हरित विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु जलवायु एवं सतत विकास कोष। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और प्रकृति के नुकसान, प्लास्टिक के प्रसार समेत प्रदूषण और कचरे के मामले में पृथ्वी जिस तिहरे संकट से जूझ रही है, नियमित आर्थिक गतिविधियों में इन चुनौतियों से निपटने के लिए मुख्यधारा की रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता है। हालाँकि, ये प्रतिकूल परिस्थितियां हमें अधिक रोजगार सृजित करने, स्वच्छ विकास तंत्र और उत्पाद केंद्रित उद्योग स्थापित करने और एक वृत्ताकार अर्थव्यवस्था की दिशा में कार्य करने का अवसर भी प्रदान करती हैं। यह एक आर्थिक अवसर है, जिसका लाभ उठाने में हमें उसी प्रकार अग्रणी रहने की आवश्यकता है, जिस तरह से हमारे देश ने पूर्व में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की शुरुआत से उपलब्ध अवसर को अपनाया था। प्रस्तावित कोष से ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने, पराली जलाने पर रोक लगाने, प्लास्टिक को री–साइकल करने समेत इस संबंध में लक्षित गतिविधियां चलाई जाएंगी और अन्य वृत्ताकार आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी।

ii. निर्णय–निर्धारण, निवेश और विकास को बढ़ाने हेतु विज्ञान और छात्रवृत्ति को जोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के आर्थिक उद्यमों में वैज्ञानिक गतिविधि और छात्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार कोष।

iii. उद्यमिता को बढ़ावा देने और विकासशील बाजार से जोड़ने के साथ–साथ वित्तीय सहायता देकर स्टार्ट–अप स्थापित करने में युवाओं की सहायता हेतु उद्यम पूंजी कोष। इस कोष से स्टार्ट–अप को मजबूत करने के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी तक पहुंच की सुविधा भी मिलेगी।

बजटीय प्रक्रियाओं में सुधार

26. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, हम गत कुछ वर्षों से निरन्तर बजट प्रक्रिया में मूलभूत सुधार कर रहे हैं। हमने पहले प्रदर्शन से जुड़े परिव्यय तंत्र की शुरुआत की थी ताकि आवंटनों को, उनकी कार्यान्वयन क्षमता में सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए विभागों के प्रदर्शन और समावेश क्षमता से जोड़ा जा सके। गत वर्ष, हमने कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए लगभग 132 योजनाओं को युक्तिसंगत बनाया है। हमने, यह मानते हुए कि आमतौर पर ऐसी परियोजनाओं को मध्यम अवधि की आवश्यकता होती है, पूंजीगत परिसंपत्तियों पर खर्च को बढ़ाने के लिए मध्यम अवधि व्यय कोष की भी शुरुआत की है। हमने अपने विकासात्मक आवंटनों को सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करने और विधानसभा में बजटीय आवंटनों से संबंधित आउटपुट–आउटकम परिणाम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की पहल की है ताकि वांछित विकास लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के हमारे संकल्प को पूरा किया जा सके।

27. इन सुधारों की निरंतरता में इस माननीय सदन को यह बताते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि बजट की प्रक्रिया में मुख्य परिवर्तन किए हैं। परिणामस्वरूप, हमने 47 मौजूदा बजटीय अनुदान मांगों को 20 बजटीय मांगों में समेकित किया है। इसके अलावा, हमने इन मांगों को आठ विषयगत क्षेत्रों में बांटा है। इस प्रक्रिया से कार्यान्वयन में सरलता, अंतर–विभागीय समन्वय में सुधार करने और विकासात्मक परिणामों तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। स्पष्टता के लिए, हमने आवंटनों को विभागवार मौजूदा और प्रस्तावित मांग संख्या को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए अलग–अलग दस्तावेजों में प्रस्तुत किया है।

28. दूसरे, हमने राज्य के बजट के माध्यम से आवंटित निधियों वाले पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन, विशेषकर स्थानीय निकायों और विश्वविद्यालयों जैसे स्वायत्त संस्थानों द्वारा संपत्ति पर व्यय के लिए लेखांकन प्रणाली में भी सुधार किया है। इससे सहायक परिसंपत्ति रजिस्टरों के रखरखाव में सुविधा होगी और हमें इन परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए निरंतर आधार पर धनराशि उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और इससे स्थानीय निकायों और स्वायत्त संस्थानों में बेहतर वित्तीय अनुशासन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे उन्हें समय पर काम पूरा करने के लिए निधि आवंटनों की सुविधा होगी तथा

ऐसे पूंजी निवेश के लागत लाभ अनुपात और आंतरिक रिटर्न दर पर बल दिया जा सकेगा।

वित्तीय सेवाएं और समावेशन

29. सरकार ने विभिन्न सरकारी संस्थाओं को पोर्टफोलियो प्रबंधन और कम लागत वाली कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए कई तरह की सेवाएं प्रदान करने हेतु एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में हरियाणा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना की है। यह कंपनी स्पेशल पर्पज़ व्हीकल और अन्य ऐसी संस्थाओं को हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, दिल्ली–करनाल और दिल्ली–SNB भाग तथा गुरूग्राम से मेट्रो कनेक्टिविटी के विस्तार जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे के निवेश की सुविधा के लिए ग्रीन लोन और बांड के माध्यम से संसाधन जुटाने की प्रक्रिया में है। सरकार ने वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने और समाज के जरूरतमंद वर्गों को समय पर तथा पर्याप्त ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के विस्तार पर विशेष बल दिया है।

हरियाणा के विकास का वज्र (डायमंड) मॉडल

30. हमारी सरकार आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए रणनीतिक अन्तःक्षेप कर रही है और परिणाम सामने हैं। हमारा विज़न है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित 5 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद तक पहुंचने के राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दें। इस दिशा में, मुझे पता है कि हमें न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपना हिस्सा बनाए रखना है बल्कि इसे बढ़ाने की भी जरूरत है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, हमने महत्वपूर्ण विकासात्मक शक्तियों की पहचान की है, जो हरियाणा को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करते हैं, जोकि हमारे रणनीतिक आर्थिक विज़न के प्रमुख घटक हैं। यह बजट हरियाणा के विकास के 'वज्र मॉडल' को सुस्पष्ट करता है, जिसमें मैंने और अधिक आर्थिक विकास तथा मानव विकास, नागरिकों के जीवन की सुगमता, गरीबों के उत्थान और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पांच विकासात्मक शक्तियों की परिकल्पना की है। ये पांच शक्तियां हैं :

i. समर्थ हरियाणा–सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संरचनात्मक और संस्थागत सुधार,

ii. अंत्योदय–सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान,

iii. सतत विकास–सस्टेनेबल डेवलपमेंट,

iii. संतुलित पर्यावरण–पर्यावरणीय स्थिरता,

iv. सहभागिता–सरकारी–सामुदायिक भागीदारी (GCP)।

समर्थ हरियाणा–प्रौद्योगिकी के उपयोग से संरचनात्मक और संस्थागत सुधार

31. माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड–19 महामारी से स्थायी महत्व का सबक यह रहा कि हमें लोगों को सेवाओं की प्रभावी, लक्षित और कुशल प्रदायगी के लिए संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाने वाली आधुनिक और उन्नत तकनीक अपनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में, सरकार ने परिवार पहचान–पत्र के रूप में प्रौद्योगिकी संचालित अनूठी पहल की है। परिवार पहचान–पत्र सरकारी योजनाओं, सेवाओं, सब्सिडी और लाभों की सक्रिय प्रदायगी के लिए अद्वितीय और विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करेगा। लगभग 66.80 लाख परिवारों के अद्यतन डेटा और 59.22 लाख परिवारों के सहमति और हस्ताक्षरित डेटा के साथ PPP डेटाबेस बनाया गया है। डेटा के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और जून 2022 तक पूरा होने की संभावना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी आई.डी. के साथ भी PPP डेटा को जोड़ने का काम चल रहा है, जिससे सटीक और संदर्भ योग्य संपत्ति डेटा का रखरखाव सम्भव होगा। भू–अभिलेखों को PPP से संदर्भित किया जाएगा। इससे संदर्भ योग्य, सटीक और विश्वसनीय रिकॉर्ड सम्भव होगा, जिसके आधार पर किसानों को आसानी से सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। यह लार्ज स्केल मैपिंग–स्वामित्व परियोजना के कारण संभव हुआ है, जिसके तहत राज्य में एक–एक इंच भूमि की ड्रोन से पैमाइश की जा रही है। हम जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र जारी करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' के तहत बेटियों की शादी पर सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सहायता के संबंध में सेवाओं की सक्रिय प्रदायगी का विस्तार करना चाहते हैं। यह क्रांतिकारी पहल यह सुनिश्चित करके जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी में उल्लेखनीय सुधार करती है कि कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समाज के लक्षित और पात्र वर्गों तक पहुँचे।

अंत्योदय–सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान

32. माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के विकास के 'वज्र मॉडल' की दूसरी शक्ति सबसे गरीब वर्ग का आर्थिक उत्थान है। हमारी सरकार का लक्ष्य सबसे गरीब व्यक्ति–अंत्योदय से शुरुआत करके विकास को और अधिक समावेशी बनाना है। महात्मा गांधी जी ने हमें यह सिद्धांत दिया था–'मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ। जब तुम्हें दुविधा हो, या तुम्हारा अहम तुम्हारे सिर चढ़कर बोले, तो इसका उपयोग करना। अपने मन–मस्तिष्क में उस सबसे निर्धन और असहाय व्यक्ति के चेहरे का स्मरण करो, जिसे तुमने कभी देखा हो और अपने–आप से पूछो कि जो कदम मैं उठाने जा रहा हूँ, वह क्या उस गरीब के किसी काम आएगा। क्या उस कदम से उसका कुछ लाभ होगा? क्या इससे वह अपनी नियति और जीवन को नियंत्रित कर पाएगा? दूसरे शब्दों में, क्या इससे उन लाखों लोगों के लिए स्वराज सुलभ होगा, जिनका पेट खाली और आत्मा अतृप्त है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 'अंत्योदय' के अपने दर्शन में इस सिद्धांत को और अधिक परिष्कृत किया। यह वह स्तंभ है, जिस पर सरकार की पहलें टिकी होंगी।

33. सरकार ने अंत्योदय पर लक्षित कई पहल की हैं। 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' (एम.एम.ए.पी.यू.वाई.) की घोषणा गत वर्ष के बजट में की गई थी। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह योजना फलीभूत हो रही है। एक लाख रुपये प्रति वर्ष से कम पारिवारिक आय वाले 1.5 लाख परिवारों को नवंबर और दिसंबर 2021 में प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर आयोजित अंत्योदय उत्थान मेलों में व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया। इन मेलों में, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा, कौशल सृजन, मजदूरी आधारित रोजगार आदि क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत चिह्नित 41,371 लाभार्थी परिवारों को उनकी इच्छा और क्षमता के आधार पर लक्षित अन्तःक्षेप प्रदान किए गए। हमें इन लाभार्थियों की आय बढ़ाने में कुछ सफलता मिली है। अंत्योदय उत्थान मेलों का दूसरा चरण 2 मार्च से शुरू हो गया है। मुझे आशा है कि यह योजना हरियाणा में अंत्योदय परिवारों को स्थायी आजीविका उपलब्ध करवाएगी। यह योजना तब तक जारी रहेगी, जब तक कि राज्य में प्रत्येक अंत्योदय परिवार की आय नहीं बढ़ जाती। मुझे उम्मीद है कि वर्ष 2022–23 में राज्य में अतिरिक्त 2 लाख परिवार कवर कर लिए जाएंगे। मौजूदा योजनाओं में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा और जहां आवश्यक होगा, अंत्योदय की

आवश्यकताओं के अनुरूप नई योजनाएं भी शुरू की जाएंगी ताकि महात्मा गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने के प्रयासों में कोई कमी न रहे।

34. 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' (MMPSY) एक और स्तंभ है, जो सबसे गरीब व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा तंत्र मुहैया करवाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत 48 लाख लाभार्थियों और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत 17.53 लाभार्थियों को कवर किया गया है। मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापारियों और महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत 2078 करोड़ रुपये का किफायती ऋण प्रदान किया गया है।

35. PPP में सत्यापित आय के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा आयुष्मान भारत में सबसे गरीब परिवारों का समावेश भी मार्च, 2022 से स्वचालित रूप से शुरू हो जाएगा। अंत्योदय परिवारों को अपने बी.पी.एल. राशन कार्ड या आयुष्मान भारत कार्ड लेने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि पात्रता के आधार पर उन्हें घर–द्वार पर ही उनके अधिकार देने के लिए सरकार उन तक पहुंच जाएगी।

सतत विकास–सस्टेनेबल डेवलपमेंट

36. माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्तरह सतत विकास लक्ष्य (SDG) सभी के बेहतर और स्थायी भविष्य की रूपरेखा प्रदान करते हैं। यह रूपरेखा समाज में समानता, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करके गरीबी को कम करने और आर्थिक विकास हासिल करने पर लक्षित है। सरकार ने वर्ष 2030 तक SDG को प्राप्त करने के लिए एक विज़न तैयार किया है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्त–पोषण अंतराल की पहचान की है। मुझे सदन को अवगत करवाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में हरियाणा को सबसे गतिशील राज्य माना गया है। इस बजट में भी, मैंने SDG में तेजी लाने और वित्त–पोषण अंतराल को सीमित रखने पर बल दिया है। हम निजी क्षेत्र के साथ भी भागीदारी करेंगे ताकि इसकी क्षमता का लाभकारी ढंग से उपयोग किया जा सके। कई SDG स्थानीय निकायों के दायरे में हैं और SDG को हासिल करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

संतुलित पर्यावरण–जलवायु क्रियाशीलता और पर्यावरणीय स्थिरता

37. महोदय, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता आर्थिक विकास के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता के कारक को 10 प्रतिशत भारिता के साथ 'वन और पारिस्थितिकी' शीर्ष के तहत राज्यों के लिए परस्पर भागों (हॉरिजोंटल डिस्ट्रीब्यूशन) की गणना के निर्धारकों में से एक माना है। यह सतत विकास लक्ष्य संख्या 13 (Climate Action) को हासिल करने की दिशा में एक कदम है, जिससे भारत के विभिन्न राज्यों में आर्थिक वृद्धि और मानव विकास को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

38. इस संदर्भ में, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता के संबंध में राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुरूप, हमारी सरकार ने जलवायु क्रियाशीलता पर बल दिया है, जो मुख्य रूप से समग्र आर्थिक विकास तथा मानव जीवन के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण आदान के रूप में कार्य करेगा।

39. जल बहुमूल्य संसाधन है और हमें हरियाणा की भावी पीढ़ियों के लिए इसके संरक्षण, विनियमन और मांग प्रबंधन के प्रयास करने होंगे। कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी और कुछ अन्य क्षेत्रों में जलभराव राज्य के लिए प्रमुख समस्या बन गई है।

40. हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने अपना काम शुरू कर दिया है और गांवों में जल स्तर का वर्गीकरण किया है। प्राधिकरण ने अवगत करवाया है कि 1948 गांवों को गंभीर रूप से भूजल की कमी वाले गांवों के रूप में चिह्नित किया गया है। दूसरी ओर, 85 गाँव ऐसे हैं, जिन्हें गंभीर रूप से जल–भराव वाले गाँवों के रूप में चिह्नित किया गया है। यह प्राधिकरण भूजल स्तर के आंकड़ों के आधार पर जिला जल संसाधन योजना तैयार करने की प्रक्रिया में है। इससे पिछले साल बजट में घोषित 'द्विवर्षिक जल प्रबंधन योजना' तैयार करने और लागू करने में मदद मिलेगी। इन जिला योजनाओं को भूजल और सतही जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक व्यापक राज्य स्तरीय जल योजना में एकीकृत किया जाएगा। यह योजना उन क्षेत्रों में, जहां पानी की कमी या भूजल स्तर गिर रहा है, में जल संरक्षण और जलभराव वाले क्षेत्रों में जल संचय से निपटने के उपायों का भी मार्गदर्शन करेगी।

41. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए नए शोध की आवश्यकता है, जो मौजूदा संकायों से बंधा न हो। हमें अपने विश्वविद्यालयों में इस तरह के शोध को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि कृषि और

आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के अप्रत्याशित प्रभाव से निपटने में मदद मिल सके। मैं, हमारे विश्वविद्यालयों में जल, वायु, पृथ्वी, जंगल (वनीकरण और पारिस्थितिकी) और ऊर्जा में 6 अंतर–संकाय शोध केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। छठा अंतःविषय केंद्र कचरे को उपयोगी उत्पादों (अपशिष्ट से धन) में बदलने के लिए प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान करेगा। छठा अंतः विषय अनुसंधान केंद्र प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। ये अंतर्विषयक अनुसंधान केंद्र विश्वविद्यालयों में मौजूदा विभागों और संकायों से बंधे नहीं होंगे और उच्च शिक्षण संस्थानों से शोध प्रतिभाओं को आकर्षित करेंगे। इन शोध केंद्रों की स्थापना और शोध के लिए विशेष धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी तथा विश्वविद्यालयों का चयन एक प्रतिस्पर्धी ढांचे के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के सार्वजनिक और निजी, दोनों तरह के विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये केंद्र समय के साथ देश में अग्रणी शोध निकायों के रूप में उभरेंगे।

सहभागिता–सरकारी–सामुदायिक भागीदारी और समर्पण

42. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक समाज के रूप में समय के साथ–साथ हमने सामाजिक क्षेत्र में संस्थाओं की स्थापना में परोपकार की भावना को खो दिया है। विगत में कई शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल ऐसे दानकर्ताओं द्वारा स्थापित किए गए थे, जो समाज को कुछ देना चाहते थे। हमें इस भावना को बलवती करने के लिए सामाजिक क्षेत्र, विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, गौशालाओं आदि में सहभागिता या सरकारी–सामुदायिक भागीदारी (GCP) का एक नया मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है। हमें भूमि उपलब्ध करवाने और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग हेतु सरकार तथा इन संस्थानों की स्थापना व प्रबंधन में समुदाय का एक साथ लाभ उठाने की आवश्यकता है। सरकार इन विशिष्ट क्षेत्रों में सहभागिता–सरकारी–सामुदायिक भागीदारी के लिए एक अभिनव नीतिगत मॉडल विकसित करेगी, जिसमें सरकार समुदायों और परोपकारियों के साथ पारदर्शी तरीके से भागीदारी कर सकती है। इससे सामाजिक क्षेत्र में सरकारी प्रयास कई गुणा बढ़ेंगे तथा समुदायों और परोपकारियों की भागीदारी भी होगी।

43. महोदय, पिछले साल मैंने एक नई पहल–समर्पण की शुरुआत की थी, जिसमें लगभग 3000 स्वयंसेवकों ने स्वैच्छिक आधार पर सरकार के साथ काम करने के लिए पंजीकरण करवाया है। अप्रैल, 2020 में लॉकडाउन

के दौरान, जन सेवा की भावना से ओत–प्रोत कई व्यक्ति लॉकडाउन के प्रभावों को कम करने के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। मैने अपनी इजराइल यात्रा के दौरान देखा कि वहां स्वयं सेवक अपनी मोटरसाइकिल को एम्बुलैंस में बदलकर दो मिनट में ही एम्बुलैंस सेवाएं प्रदान कर रहे थे। यह समर्पण की वह भावना है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिखाई दे रही थी। यही भावना हमें आगे लेकर जाएगी। मैं विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों से अपील करता हूँ, जिनके पास समाज के लिए समर्पण हेतु खाली समय है। मैं समाज के उत्थान के लिए स्वयं को समर्पित करने और सरकार के प्रयासों में योगदान देने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जेब खर्च के रूप में उचित पारिश्रमिक देने का प्रस्ताव करता हूँ।

क्षेत्रवार आवंटन

महिला सशक्तिकरण

44. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। आज, हम अपनी मातृशक्ति की सामाजिक, आर्थिक, खेल जगत, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। हरियाणा की महिलाओं ने पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से खेल और राजनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हरियाणा की बेटी स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज भारत की सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा थीं। आज, मैं राज्य स्तरीय पुरस्कार–'सुषमा स्वराज पुरस्कार' की घोषणा करता हूँ। यह पुरस्कार हरियाणा की उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है या उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। सुषमा स्वराज पुरस्कार में एक प्रशस्ति–पत्र व 5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

45. हमें उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिये आर्थिक उत्थान के लिये उठाए गए कदमों की सराहना और समर्थन करना चाहिए। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना 'हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना' की घोषणा करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उन परिवारों की महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 5 लाख रुपये से कम है और जो किसी भी उद्यम, व्यापार या व्यवसाय में उद्यमी बनना चाहती हैं, उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपये तक के आसान ऋण प्रदान किये जायेंगे। इस ऋण पर हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से 3 वर्ष के लिये

7 प्रतिशत की ब्याज सहायता दी जाएगी। इस स्कीम के बारे में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विस्तृत जानकारी शीघ्र ही अधिसूचित की जाएगी। मुझे आशा है कि यह योजना महिला उद्यमियों को समाज में नई संभावनायें तलाशने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी।

46. बड़े शहरों में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास की समस्या का सामना करना पड़ता है। आवास की सुविधाओं से वंचित हरियाणा की कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करने के लिये मैं सरकारी भूमि पर कामकाजी महिलाओं के लिए आवास बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। वर्ष 2022—23 में सहभागिता के अन्तर्गत फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकूला में ऐसे मकान बनाये जायेंगे। वर्ष 2022—23 में सहभागिता के माध्यम से 3 महिला आश्रम के निर्माण की संभावनायें तलाशी जायेंगी।

47. शैक्षणिक संस्थानों में आने जाने की सुविधा कम होने के कारण लड़कियों के शिक्षा के अवसर सीमित हैं। इन अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार जिला भिवानी के कुडल व छापर तथा जिला सोनीपत के गन्नौर में 3 नए सरकारी महिला कॉलेज खोलेगी।

48. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (SHG) के गठन के माध्यम से गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार के लिए सशक्त बनाकर गरीबी को कम करना है। मैं वर्ष 2022—23 में 10,000 स्वयं सहायता समूहों की स्थापना और सहायता करने का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता के अलावा राज्य सरकार ऐसे एसएचजी, जिनमें आधे से अधिक सदस्य ऐसे परिवारों से संबंधित हैं जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम या इसके बराबर है, उनकी सम्पूर्ण ब्याज लागत का वहन करेगी। मुझे आशा है कि इस कदम से ऐसे परिवारों की कम से कम 50,000 महिलाओं को लाभकारी स्वरोजगार के लिए धन प्राप्त होगा और वे बढ़ी हुई आय से अपने परिवारों की सहायता करने में सक्षम होंगी।

49. मैं इस सम्मानित सदन का आभारी हूँ कि विधानसभा ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर सभी स्तरों पर कुल सीटों का आधा करने के लिए कानून पारित किया है। मुझे आशा है कि पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों में इस बड़े कदम से स्थानीय

स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान मिलने से सही मायने में महिला सशक्तिकरण होगा।

कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र

50. माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि और संबद्ध गतिविधियों का राज्य के वर्तमान मूल्य पर कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित (GSVA) में वर्ष 2021–22 में 17 प्रतिशत का योगदान रहा है। 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' (MFMB) ऐसा प्राथमिक मंच है, जिसके माध्यम से सरकार ने कई पहल की हैं। मेरी फसल मेरा ब्योरा के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की जा रही है। बीज विकास कार्यक्रम (उत्तम बीज), पराली प्रबंधन, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (MMBBY) और भावांतर भरपाई योजना (BBY) आदि को 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' के माध्यम से सुगम बनाया गया है। प्रदेश में 9 लाख से अधिक किसानों ने 62 लाख एकड़ का पंजीकरण कराया है। भारत में ऐसा कोई अन्य राज्य नहीं है, जो किसानों को ऐसी सुविधा प्रदान कर रहा हो।

51. खरीफ, 2021 के दौरान भारी बारिश, बाढ़ और कीटों के हमले से प्रभावित किसानों को मुआवजे के रूप में 561.11 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। मैं प्रदेश के मेहनतकश किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार जरूरत के समय उनके साथ खड़ी रहेगी।

52. मैं सतत कृषि को बढ़ावा देने की वर्तमान योजना के तहत प्राकृतिक खेती पर एक नया कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीन साल का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम 100 कलस्टर्स में प्रति कलस्टर की कम से कम 25 एकड़ भूमि पर शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रमाणन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग और पहले तीन वर्षों में उत्पादन की हानि पर मुआवजे के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना का विवरण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

53. संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष' घोषित किया है। हरियाणा बाजरे की खेती के लिए जाना जाता है। खरीफ–2018 में हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद शुरू की। गत वर्ष हमने बाजरा किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सहायता प्रदान की और प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (DBT) के माध्यम से किसानों

को 482 करोड़ रुपये की अदायगी की गई। इसे और आगे बढ़ाने के लिये, बाजरे की कटाई के उपरान्त प्रबंधन और ब्रांडिंग के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि का अलग से प्रावधान करने का मेरा इरादा है ताकि बाजरे की सतत मांग को पूरा किया जा सके और हरियाणा के किसान को उसकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। यह सहायता हरियाणा के किसानों से बाजरा खरीदने वाले किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को प्रदान की जाएगी। बाजरा एवं अन्य मोटे अनाजों में अनुसंधान के लिए भिवानी में एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है और उत्पादकता में सुधार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि बाजरा किसानों की आय में वृद्धि हो।

54. जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कपास उत्पादक जिला–सिरसा और फतेहाबाद में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा। केंद्रीय बजट के विजन के अनुरूप कृषि में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों–जैसे कि नैनो फर्टिलाइजर (तरल यूरिया), डिजिटल कृषि, ड्रोन का उपयोग, कृत्रिम प्रज्ञा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और प्रीसिजन फार्मिंग आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में 25 लाख मृदा नमूने लेकर और किसानों तथा 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' से जुड़े किसानों तथा प्रयोगशालाओं को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देकर वर्ष 2021 में शुरू किए गए मृदा स्वास्थ्य अभियान में तेजी लाई जाएगी।

55. मैं प्रस्ताव करता हूँ कि गर्मी के मौसम में पैदा की गई मक्का की खरीद के लिए भी वही न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, जो खरीफ मक्का के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस निर्णय से राज्य के मेहनतकश किसानों का विश्वास और मजबूत होगा कि सरकार हर समय उनके साथ खड़ी है।

56. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) द्वारा विकसित की जाने वाली प्रस्तावित नई ग्रामीण संपर्क सड़कों के विकास में तेजी लाने के लिए, मैं HSAMB को 200 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस अनुदान से HSAMB आगामी दो वर्षों में 5 करम चौड़ाई की सभी सड़कों के निर्माण के लिए गत वर्ष के बजट में की गई घोषणा के कार्यान्वयन को पूरा करने में सक्षम होगा।

57. मुझे यह बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि हरियाणा देश में एक महत्वपूर्ण बागवानी केंद्र के रूप में उभरा है। 'हॉर्टिकल्चर विज़न' के अनुसार

वर्ष 2030 तक बागवानी क्षेत्र को दोगुणा और उत्पादन को तीन गुणा करने की योजना है। अनूठे 'फसल समूह विकास कार्यक्रम' के तहत ताजा फल और सब्जियों के लिए सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। सरकार वर्ष 2022–23 में 100 पैक हाउस की स्थापना के लिये सहायता प्रदान करेगी।

58. धान उत्पादक क्षेत्रों और अन्य अनाज फसलों को विशेष रूप से लक्षित करते हुए बागों, सब्जियों और मसालों में फसल विविधिकरण के लिए एक नया कार्यक्रम प्रस्तावित है। वर्ष 2022–23 में कुल 20,000 एकड़ क्षेत्र को इस कार्यक्रम के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में बागवानी मशीनरी को बढ़ावा देने और किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध करवाने हेतु पांच मशीन बैंक केंद्रों की स्थापना के लिए एक नया कार्यक्रम प्रस्तावित है।

59. FPOs किसान संगठनों के लिए फसल कटाई उपरान्त प्रबंधन पद्धतियों को अपनाकर उपज मूल्य बढ़ाने के साधन बन गए हैं। हरियाणा में 683 से अधिक FPO स्थापित किए गए हैं और इन्होंने गैर–पारंपरिक कृषि व बागवानी फसलों में अपनी विशेष पहचान बनानी शुरू कर दी है। FPO के पंजीकरण की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। इस समस्या के समाधान के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय किए जाएंगे और पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से किसान समूहों की प्रशासनिक मदद की जाएगी। सरकार राज्य वर्ष 2022–23 में 100 FPO के पंजीकरण में मदद करेगी। FPO का नियंत्रण कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में न हो, इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि FPO में किसानों की हिस्सेदारी समान हो। इसके विवरण की घोषणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अलग से की जाएगी

60. हरियाणा के प्रगतिशील किसान उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए किए गए या अपनाए गए नवाचारों का प्रदर्शन करके कृषि में दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। मैं प्रगतिशील किसानों के सहयोग से 'प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन' नामक एक नया उपाय शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो अन्य किसानों के लिए परामर्शदाता और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। ऐसे किसानों के दौरों और प्रशिक्षण का खर्च तथा प्रगतिशील किसानों की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी। मुझे उम्मीद है

कि हरियाणा के किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए एक–दूसरे के अनुभवों से सीखकर नवाचारों को अपनाएंगे।

61. पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए, सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 में 1 लाख अंत्योदय परिवारों को डेयरी की पशुधन इकाइयों, भेड़, बकरी, सुअर पालन और बैकयार्ड पोल्ट्री की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान प्रदान की जाएगी।

62. उच्च गुणवत्ता के पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार द्वारा किसानों को साहीवाल, हरयाणा और बेलही नस्ल की गायों की औसत दैनिक दुग्ध क्षमता के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। मैं 'एम्ब्रयो ट्रांसफर टैक्नॉलोजी' (ई.टी.टी.) घटक को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसमें पशुपालक किसानों को देसी नस्ल के दुधारू पशुओं में ई.टी.टी. अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और ई.टी.टी. से पैदा होने वाले बछड़ों के लिए 10,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले देसी पशुओं की संख्या और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। इस योजना का विस्तृत विवरण पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

63. पशुधन इकाइयों का प्रावधान 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' के लाभार्थियों द्वारा अपनाई गई सबसे आम योजना है। हालांकि, यह देखा गया है कि कई अंत्योदय परिवार सहायता प्राप्त करने में असमर्थ रहे, क्योंकि उनके पास पशुओं को रखने के लिए जगह नहीं थी। मेरा प्रस्ताव है कि यदि कोई अंत्योदय परिवार डेयरी या भेड़ इकाई स्थापित करना चाहता है और उसके पास पशुओं को रखने के लिए भूमि या स्थान नहीं है, तो उन परिवारों को संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि पर एक सांझा शेड प्रदान किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से अन्तःक्षेप से गांव के अंत्योदय परिवार अपनी आजीविका कमाने और अपनी आय बढ़ाने में सक्षम होंगे। योजना का विवरण पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा विकास एवं पंचायत विभाग के परामर्श से अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

64. हरियाणा अंतर्देशीय जलकृषि में अग्रणी राज्यों में से एक है। मत्स्य पालक किसानों की आय को दोगुणा करने के उद्देश्य से, नए तालाबों के निर्माण और री–सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आर.ए.एस.) तथा बायोफ्लोक

सिस्टम की स्थापना करके मीठे पानी व खारे पानी में मछली और झींगा उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार उत्पादन बढ़ाने हेतु आनुवंशिक रूप से उन्नत गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाने के लिए राजकीय मत्स्य बीज फार्मों का मजबूतीकरण और उन्नयन कर रही है। मत्स्य पालक किसानों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने के लिए, मत्स्य पालक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) प्रदान करने हेतु एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

65. 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' के तहत, राज्य सरकार सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति के माध्यम से जिला झज्जर में एक अत्याधुनिक थोक मछली बाजार स्थापित करने जा रही है। राज्य सरकार सामूहिक मछली व झींगा पालन और उनके विपणन को बढ़ाने के लिए मत्स्य पालक किसान उत्पादक संगठन (एफ.एफ.पी.ओ.) की स्थापना में भी सहयोग करेगी। लवणता प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए जिला भिवानी में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क–सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जलीय जीवों के अजूबों को देखने–समझने के लिए गुरुग्राम में सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति पर जलीय पौधों, मछलियों और जंतुओं का एक आधुनिक एक्वेरियम स्थापित करने का प्रस्ताव है।

66. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 5988.76 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ, जो कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 27.7 प्रतिशत की वृद्धि है।

सहकारिता

67. माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा अपने किसानों को गन्ने का देश में सर्वाधिक भाव देता है। मुझे यह अवगत करवाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों का पूरा भुगतान कर दिया गया है।

68. हैफेड द्वारा रामपुरा (रेवाड़ी) में 150 टन प्रतिदिन क्षमता का एक नया तेल मिल, रोहतक में एक मेगा फूड प्रोजैक्ट, यमुनानगर के रादौर में एक हल्दी पाउडर प्लांट, टर्मरिक ऑयल एक्सट्रेक्शन प्लांट और 500 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज और जाटूसाना (रेवाड़ी) में आटा मिल की स्थापना की जा रही है। गुड़ के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये हैफेड राज्य में गुड़ इकाइयां स्थापित करने में सहायता करेगी। हैफेड ने वर्ष 2021–22 में

सफलतापूर्वक निर्यात शुरू कर दिया है और 5 करोड़ रुपये के पांच निर्यात ऑर्डर निष्पादित किए हैं। हैफेड यह सुनिश्चित करने के लिए निर्यात क्षेत्र पर बल दे रहा है कि हरियाणा के किसानों को दुनिया–भर में अपनी उपज के लिए एक बाजार मिले।

69. सरकार ने 17 अक्टूबर, 2021 को 'हरहित परियोजना' शुरू की थी। इस परियोजना में हरहित के माध्यम से, सभी जिलों में 2000 खुदरा स्टोर स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे उद्यमिता और रोजगार पैदा करने में मदद मिलगी। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि फरवरी 2022 के अंत तक, 852 फ्रेंचाइजी आवंटित किए गए हैं, 463 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और 250 संचालित हो गए हैं। हरहित फ्रेंचाइजी ने लगभग 25 प्रतिशत की औसत मासिक वृद्धि के साथ पिछले चार महीनों में लगभग 14 करोड़ रुपये का संचयी कारोबार किया है।

70. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) ने डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (डी.आई.डी.एफ.) के तहत सहकारी क्षेत्र में हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ (एच.डी.डी.सी.एफ.) द्वारा संचालित जींद और सिरसा के दो दुग्ध संयंत्रों के नवीनीकरण के लिए परियोजना लागत को स्वीकृति प्रदान की है।

71. हरियाणा अपने दूध और दुग्ध उत्पादों के लिये जाना जाता है। उपभोक्ताओं में दूध की गुणवत्ता के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिये दूध और दुग्ध उत्पादों की जांच करना आवश्यक है। खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता जांच की सुविधाएं पूरे राज्य में उपलब्ध नहीं हैं। इस समस्या के समाधान के लिये, सरकार अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी जिलों में दूध और दुग्ध तथा अन्य खाद्य उत्पादों के लिए जांच सुविधाएं स्थापित करेगी।

72. पूर्व में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) समेत सहकारी ऋण क्षेत्र किसानों के लिए ऋण के प्राथमिक स्रोत थे। हालाँकि इस क्षेत्र की उपेक्षा और अन्य विभिन्न कारणों से, पैक्स के पास बड़ी मात्रा में गैर–निष्पादित परिसंपत्तियाँ हैं और किसानों के ऋण प्रभावित होते हैं।

73. मैं प्राथमिक कृषि ऋण क्षेत्र के उत्थान के लिए चार सूत्री रणनीति के माध्यम से इसमें सुधार का प्रस्ताव करता हूँ। सबसे पहले, मैं 'विवादों का समाधान' अम्ब्रेला के तहत एकमुश्त निपटान योजना लागू करने का प्रस्ताव

करता हूँ। इसके तहत 30 नवंबर, 2022 तक फसली ऋण या अन्य लघु या मध्यम अवधि के ऋण की मूल राशि का भुगतान करने पर दंडात्मक ब्याज समेत किसानों के ब्याज की पूरी राशि माफ कर दी जाएगी। यह निपटान योजना पैक्स और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डी.सी.सी.बी.) के ऋणों पर लागू होगी। दूसरे, सभी पैक्स को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा ताकि वे वित्तीय लेनदेन के लिए 'कोर बैंकिंग सिस्टम' से जुड़े रहें और ऋण देने से पहले ऋण–पृष्ठभूमि की जांच कर सकें। तीसरा, गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एन.पी.ए.) को परिवर्तित करने तथा पैक्स और डी.सी.सी.बी. को उनके पोर्टफोलियो की खराब परिसंपत्तियों के बोझ से राहत दिलाने के लिये एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी बनाई जायेगी। अंत में, पैक्स को वित्तीय और प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए इनका एकीकरण किया जाएगा। वेयरहाउसिंग, कृषि उपकरणों की कस्टम हायरिंग और उर्वरक प्रबंधन जैसे अतिरिक्त क्षेत्र, जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं और जिनमें पैक्स के लिए राजस्व अर्जित करने और किसानों को सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता है, को अपनाने के लिए पैक्स को मजबूत किया जाएगा। इन कदमों से, मुझे विश्वास है कि सहकारी ढांचा किसान की सहायता के लिए एक विश्वसनीय संस्था के रूप में अपनी वास्तविक भूमिका निभाना शुरू कर देगा।

74. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में सहकारिता क्षेत्र के लिए 1537.35 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों से 20.6 प्रतिशत की वृद्धि है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

75. इस ग्रह पर हम सभी के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिये स्वयं को और लोगों को तैयार किया है तथा इस दिशा में अपेक्षित कदम उठा रही है।

76. राज्य सरकार का हर जिले में वायु प्रदूषण सम्भावित 'हॉट स्पॉट' की पहचान करने और हरसम्भव तरीके से प्रदूषण को कम करके उन्हें 'ग्रीन स्पॉट' में परिवर्तित करने हेतु सभी अपेक्षित अन्तःक्षेप करने का प्रस्ताव है। यदि आवश्यक हुआ तो इन चिह्नित 'हॉट स्पॉट' में प्रदूषण को कम करने के लिए विशेष धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

77. राज्य में मौजूदा 29 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता केन्द्रों के अतिरिक्त, मैं वायु गुणवत्ता की निगरानी के साथ–साथ आमजन में जागरूकता पैदा

करने के लिए प्रदेश–भर में 100 वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

78. पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए, मैं हरियाणा के प्रख्यात पर्यावरणविद स्वर्गीय श्री दर्शन लाल जैन के नाम पर एक नया पुरस्कार शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। 'दर्शन लाल जैन पुरस्कार' में दो व्यक्तियों को क्रमशः तीन लाख रुपये और एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

79. वन राष्ट्र के लिए फेफड़ों का काम करते हैं। सरकार ने राज्य में लगभग 200 नर्सरियां स्थापित की हैं, जहां विभिन्न प्रकार की पौध तैयार की जाती हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान सरकार द्वारा प्रदेश में 10 हाईटेक नर्सरियां विकसित की जाएंगी, जिनमें स्वचालित जलवायु नियंत्रण, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, रूट ट्रेनर सुविधाएं, जर्मिनेशन बैड, वनस्पति प्रसार सुविधाएं तथा सिंचाई और उर्वरक देने जैसी स्वचालित सुविधाएं होंगी, जिससे वर्षभर गुणवत्ता वाली पौध तैयार करने की सुविधा होगी।

80. मुझे आशा है कि वर्ष 2022–23 के दौरान, प्रकृति–प्रेमियों के लाभ और स्थानीय लोगों की आजीविका में वृद्धि हेतु ईको–टूरिज्म सुविधाओं को प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए एक ईको–टूरिज्म नीति तैयार कर ली जाएगी।

81. हम प्रत्येक दशक में एक बार लोगों की गणना करते हैं। कभी–कभी हम अपने पशुधन की भी गणना करते हैं। हालाँकि, हमारे पास अपने वृक्षों की गणना करने का कोई तंत्र नहीं है। मैं प्रदेश में हर वृक्ष की गिनती के लिए वर्ष 2022–23 में वृक्ष गणना और इसके लिए जियो टैग शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस गणना के आधार पर, राज्य हरियाली बढ़ाने के लिए व्यापक वनरोपण योजना तैयार की जाएगी।

82. राज्य का शिवालिक क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध जैव–विविधता के लिए जाना जाता है। प्रकृति–प्रेमियों के लिए कालका (जिला पंचकूला) से कलेसर (जिला यमुनानगर) तक 150 किलोमीटर लम्बी 'नेचर ट्रेल' स्थापित की जाएगी ताकि वे प्रकृति का आनंद लेने के साथ–साथ हमारी प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें।

83. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में पर्यावरण और वन क्षेत्र के लिए 530.94 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों से 16.05 प्रतिशत की वृद्धि है।

मानव संसाधन और सामाजिक क्षेत्र

शिक्षा

84. माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा राष्ट्रीय विकास और सामाजिक उन्नति की कुंजी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, शिक्षा क्षेत्र में वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। राज्य ने वर्ष 2030 के राष्ट्रीय लक्ष्य की तुलना में इसे वर्ष 2025 तक ही लागू कर देने का लक्ष्य रखा है।

85. कोविड –19 महामारी से कई सबक लेते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की आवश्यकता को तीव्र रूप से महसूस किया गया है। सरकार शिक्षण में प्रौद्योगिकी और ई–लर्निंग के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहल कर रही है।

86. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उन्नत आई.टी. और डिजिटल बुनियादी ढांचा और मान्यता के दौरान उच्च ग्रेड हासिल करने पर भी बल दिया गया है। एन.ई.पी.–2020 का अनुसरण करते हुए, सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा 2023 तक मान्यता प्राप्त कर ली जानी चाहिए। सरकार का प्रस्ताव है कि सभी कॉलेजों में कम से कम 10 स्मार्ट क्लासरूम होने चाहिए।

87. शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को सुरक्षित परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षित परिवहन की कमी के कारण लड़कियों का ड्रॉप आउट न हो, सरकार ने प्रत्येक विद्यार्थी, विशेषकर शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए आवागमन करने वाली प्रत्येक लड़की को परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना–साथी (सुरक्षित एवं सुलभ परिवहनः हरियाणा पहल) शुरू करने का प्रस्ताव किया है। यह सुविधा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक और चिकित्सा या पैरा मेडिकल या नर्सिंग संस्थानों सहित सरकारी संस्थानों में सभी लड़कियों के लिए प्रदान की जाएगी। योजना की अधिसूचना अप्रैल, 2022 तक कर दी जाएगी।

88. शिक्षित एवं स्वस्थ बच्चे हमारा भविष्य हैं। सरकार का आगामी शैक्षणिक सत्र से एक नया स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत स्कूलों में पढ़ने वाले 25 लाख विद्यार्थियों की वर्ष में दो बार स्वास्थ्य जांच की जायेगी। स्कूल गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त करने के केन्द्रों के साथ–साथ बच्चों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के केन्द्रों के रूप में भी काम करेंगे और ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी.एच.सी.) तथा जिला अस्पतालों के साथ जोड़े जाएंगे। बच्चों से जुटाए गए डेटा को ई–उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड कहीं भी और कभी भी सरलता से उपलब्ध हो सके।

89. राज्य में संस्कृति मॉडल स्कूलों के प्रति विद्यार्थियों और अभिभावकों का रुझान बढ़ा है। इनकी उपयोगिता और लोकप्रियता के दृष्टिगत, सरकार ने इनकी संख्या 138 से बढ़ाकर 500 करने का प्रस्ताव किया है। संस्कृति मॉडल स्कूलों में पांचवीं कक्षा से ही कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा इन स्कूलों में समग्र शैक्षणिक परिवेश प्रदान करने के लिये खेल नर्सरियां विकसित करके खेल ढांचे और सुविधाओं में भी सुधार किया जायेगा।

90. 21वीं शताब्दी के कौशल को बढ़ावा देने के लिए, अटल टिंकरिंग लैब (ए.टी.एल) की तर्ज पर 50 STEM लैब की स्थापना की जाएगी, जहां 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉक चेन मैनेजमेंट आदि में एक्सपोजर और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

91. अध्ययन का उच्च स्तर प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए, सरकार का 8वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए विषयवार ओलंपियाड शुरू करने का प्रस्ताव है। भौतिकी और गणित में उच्च स्थान हासिल करने वाले छात्रों को राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) जैसे प्रख्यात विज्ञान संस्थानों में एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। जिला और राज्य स्तर पर विषयवार ओलंपियाड विजेताओं को छात्रवृत्ति के रूप में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

92. सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने और डिजिटल दुनिया में ज्ञान तक पहुंच बनाने के लिए, सरकार का आगामी

शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को कनेक्टिविटी के साथ टैबलेट प्रदान करने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त अध्ययन अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय भी स्थापित करेगी।

93. महामारी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई। हालाँकि शैक्षिक सामग्री प्रदान करने के लिए डिजिटल तरीका अपनाने का प्रयास किया गया, इस विधा की कमियों को पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सका। इसी तरह, सेवारत प्रतिरक्षा और अर्धसैनिक कार्मिकों के बच्चों को समय–समय पर शैक्षिक सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों को गांवों में सुधारात्मक शिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, मैं सुधारात्मक कोचिंग की आवश्यकता वाले पहली से 10वीं कक्षा तक के बच्चों तथा प्रतिरक्षा और अर्धसैनिक कार्मिकों के बच्चों के लिए सुधारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु स्कूल के समय के बाद स्कूल परिसर का उपयोग करने का प्रस्ताव करता हूँ। सुधारात्मक शिक्षण, शिक्षा सहायकों द्वारा संचालित किया जाएगा, जिन्हें जिला परिषदों द्वारा स्थानीय युवाओं में से उनके शैक्षिक स्तर के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

94. सरकार का ट्विनिंग प्रोग्राम के माध्यम से सरकारी और निजी स्कूलों को जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि विद्यार्थी एक–दूसरे से सीख सकेंगे। चिह्नित सरकारी स्कूलों को ऑडियो–विजुअल कक्षाओं से युक्त बनाया जाएगा और एक भागीदार निजी स्कूल से जोड़ा जाएगा। ये स्कूल सांझा प्रशिक्षण और सीखने के संसाधन जुटाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ट्विनिंग कार्यक्रम से समाज को एक साथ लाने और संस्थानों में सांझा अध्ययन को सक्षम बनाने में मदद मिलगी।

95. सभी अच्छे शिक्षक अच्छे प्राचार्य नहीं हो सकते। शैक्षणिक संस्थान जटिल संस्थान होते हैं और शिक्षकों को हैड टीचर, हैड मास्टर और प्राचार्य की भूमिका निभाने के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। मैं शैक्षणिक संस्थान नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो शैक्षणिक संस्थानों के मुखिया के तौर पर नियुक्त होने वालों के लिए अनिवार्य होगा। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को प्रबंधन और नेतृत्व कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे मुखिया के तौर पर नियुक्त होने पर उन्हें संस्थान के प्रशासनिक कार्यों में मदद मिलेगी।

96. उच्च शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण एन.ई.पी.–2020 का एक प्रमुख घटक है। हरियाणा को उच्च शिक्षा के मानचित्र पर लाने के लिए, राज्य विश्वविद्यालयों को भारतीय भाषाओं, भारतीय कला एवं संस्कृति, ज्योतिषशास्त्र, आयुर्वेद आदि पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि विदेशी छात्रों को आकर्षित किया जा सके। हमारी प्राचीन भाषाओं और हस्तलिपि में सीखने, अध्ययन और शोध को प्रोत्साहित करने हेतु, मैं इन क्षेत्रों में अध्ययन और शोध में लगे संस्थानों को अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

97. राज्य सरकार उन्नत एवं उभरती प्रौद्योगिकियों में शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिये मानेसर में एक 'इंस्टिट्यूट ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी' स्थापित कर रही है।

98. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 20,250.57 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.6 प्रतिशत की वृद्धि है।

स्वास्थ्य

99. माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड–19 के चलते राज्य में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि, सरकार इस वर्ष कोविड–19 के नए–नए वेरियेंट के कारण आई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रही। ऐसे माहौल में गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और स्वास्थ्य सेवाओं को वहन करने की आवश्यकता को तीव्रता से महसूस किया गया।

100. सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए, मेरा प्रस्ताव है कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीय मानकों यानि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (एन.क्यू.ए.एस.) को हासिल करने के लिए अपग्रेड किया जाएगा। अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी.एच.सी.) और चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी.एच.सी.) को भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आई.पी.एच.एस.) के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वैलनेस सेन्ट्र्स के रूप में विकसित किया जायेगा, जिनमें आयुष सुविधाएं और पोषण व भोजन से सम्बन्धित मार्गदर्शन सहित स्वास्थ्य और वैलनेस से जुड़ी सभी गतिविधियां एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी।

101. मैं, नजदीकी जिला अस्पताल से न्यूनतम 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सभी उप–मण्डल स्तरीय अस्पतालों को भी समुचित आक्सीजन की आपूर्ति के प्रावधान के साथ कम से कम 100 बिस्तर के अस्पताल के रूप में अपग्रेड करने का प्रस्ताव करता हूँ।

102. आय मानदंड के आधार पर सह–भुगतान और अपने पास से खर्च को कम करने के लिये सरकार ने ऐसे परिवारों, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, को प्रथम चरण में आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का सैद्धांतिक निर्णय कर लिया है। इससे ये परिवार निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, चाहे वे आयुष्मान भारत योजना के पात्रता दायरे में आते हैं या नहीं। यदि आवश्यक हुआ तो सरकार ऐसे परिवारों के लिए केंद्र सरकार के हिस्से सहित पूरी लागत वहन करेगी। इसके क्रियान्वयन व राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित केन्द्रीय पोर्टल से इसके समेकन से सम्बन्धित तौर–तरीके शीघ्र ही तैयार किये जायेंगे।

103. दिव्यांगों को स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और स्वास्थ्य देखभाल खर्च को पूरा करने में सहायता की आवश्यकता है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 70 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता वाले सभी दिव्यांगों, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम है, को आयुष्मान भारत के माध्यम से पूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार ऐसे मामलों में अपने संसाधनों से खर्च वहन करेगी, जहां आयुष्मान भारत के सामान्य दिशा–निर्देशों में चिकित्सा सहायता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

104. हाल ही में, मरीजों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि और चिकित्सा उपचार के लिए आयुष्मान भारत के प्रति बढ़ते आश्रय के कारण आयुष्मान भारत के लाभार्थी रोगियों को प्रदान किए गए उपचार हेतु अस्पतालों को भुगतान के दावों की प्रतिपूर्ति में देरी के कुछ मामले सामने आये हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भुगतान तीव्रता से हों और भुगतान में देरी सम्बन्धी किसी संदेह के बिना गरीब मरीजों का इलाज जारी रखने के लिए अस्पतालों में विश्वास पैदा हो, मैं एक रिवॉलविंग मैकेनिज्म स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसमें देय राशि के 75 प्रतिशत का भुगतान अस्पताल द्वारा दावे भेजने के 15 दिन के अन्दर–अन्दर और शेष राशि का भुगतान उचित सत्यापन के बाद कर दिया जायेगा। मुझे आशा है कि अस्पताल सरकार द्वारा उन पर जताए

गए विश्वास पर खरा उतरेंगे और उनके पास उपचार के लिये आने वाले गरीब मरीजों का उपचार करने में टाल–मटोल नहीं करेंगे और अधिक राशि नहीं वसूल करेंगे। शेष दावों के निपटान के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा समय सीमा निर्धारित की जाए।

105. मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राज्य में आयुष्मान भारत के रोगियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई.एस.आई.सी.) के तहत संचालित अस्पतालों में भुगतान आधार पर इलाज के लिए अनुमति देने के हरियाणा के अनुरोध पर विचार करने की सहमति प्रदान कर दी है। इससे उन क्षेत्रों में गरीबों के लिए तृतीयक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार होगा, जहां ई.एस.आई.सी. द्वारा संचालित अस्पताल उपलब्ध हैं।

106. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देखा गया है कि गरीब वर्ग के परिवार स्वास्थ्य सम्बन्धी कई ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं, जिनका समय पर पता नहीं लगता और फलस्वरूप असामयिक मृत्यु हो जाती है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम है, उन्हें दो वर्ष में एक बार निःशुल्क सामान्य स्वास्थ्य जाँच की सुविधा प्रदान की जाएगी।

107. सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी एक दीर्घकालिक समस्या रही है। सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों को आकर्षित करने में सक्षम हो, इसके लिए मैं डॉक्टरों का एक विशेषज्ञ काडर बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। ऐसे डॉक्टर केवल क्लीनिकल ड्यूटी करेंगे। विशेषज्ञ काडर में डॉक्टरों की सेवा के नियम और शर्तें अन्य डॉक्टरों से अलग होंगी। चिकित्सा स्नातकों को सरकारी सेवा की ओर आकर्षित करने के लिए, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 40 प्रतिशत सीटें सरकारी सेवा के डॉक्टरों हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। डी.एन.बी. (डिग्री और डिप्लोमा) पाठ्यक्रम, जो वर्तमान में 11 अस्पतालों में उपलब्ध हैं, को सभी जिला नागरिक अस्पतालों में शुरू किया जाएगा।

108. सरकार निजी क्षेत्र के माध्यम से भी गरीबों को उत्तम स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ–साथ मल्टी स्पेशिलिटी अस्पतालों के निर्माण और प्रबन्धन के लिए सरकार और समुदाय की भागीदारी पर आधारित एक नया

सहभागिता मॉडल विकसित करना चाहती है। इस सम्बन्ध में उचित परामर्श के पश्चात एक नीति अगले छः माह में लागू कर दी जाएगी।

109. राज्य की जनसंख्या में वरिष्ठ नागरिकों के बढ़ते अनुपात को ध्यान में रखते हुए, सभी जिला नागरिक अस्पतालों में फीजियोथरेपी इकाइयों के साथ वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर शुरू किए जाएंगे। नागरिक अस्पतालों में इलाज के लिए वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

110. मुझे पता है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के सहायकों के लिए बोर्डिंग–लोजिंग की पर्याप्त सुविधाओं की कमी है। मैं सभी जिला नागरिक अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में रेस्तरां सुविधाओं सहित कमरे और डोरमेट्री वाली विश्राम सराय के निर्माण के लिए अलग से प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ। कई परोपकारी संगठन हैं, जो इन अस्पतालों में मरीजों के सहायकों को निःशुल्क लंगर की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इन विश्राम सरायों की स्थापना और प्रबंधन में सहभागिता के माध्यम से इनका सहयोग मिलेगा।

111. हमने हाल के वर्षों में बड़ी गंभीरता से यह अनुभव किया है कि छोटे शहरों और बड़े गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का यह विस्तार सरकार और निजी, दोनों क्षेत्रों का करना होगा। छोटे शहरों में अपनी संस्था स्थापित करने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने हेतु, मैं बजट में एक नई योजना प्रस्तावित करता हूँ। जो डॉक्टर नगरपालिकाओं वाले छोटे शहरों और महाग्रामों में अपने नए अस्पताल, नर्सिंग होम या क्लीनिक स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर ब्याज सहायता देने के लिये तीन वर्ष की अवधि के लिए 2 प्रतिशत की दर से ब्याज सहायता प्रदान की जायेगी। स्कीम के विस्तृत विवरण की अधिसूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोत्साहन से छोटे शहरों और गांवों में निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी।

112. सुरक्षित रक्त की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और स्वैच्छिक रक्तदाताओं को अस्पतालों में संक्रमण होने के उच्च जोखिम से बचाने के लिए रक्तदान की सुविधा हेतु, वर्ष 2022–23 में पायलट आधार पर रक्त संग्रह और भण्डारण के लिए बुनियादी ढांचों के साथ मोबाइल इकाइयां शुरू की जाएंगी। प्राप्त अनुभव के आधार पर, इसे पूरे राज्य में और विस्तारित करने पर विचार किया जाएगा।

113. राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2025 तक सरकार निजी क्षेत्र को शामिल करके तथा जोखिम आबादी की मैपिंग करके टी.बी. को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। टी.बी. का पता लगाने के लिए राज्य के हर खंड में मॉलिक्यूलर टैस्टिंग (TRuNAAT) की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

114. सरकार एलोपैथिक उपचार के विकल्प के रूप में आयुष के बारे में जागरुकता पैदा करने का प्रयास कर रही है। सरकार बीमारी के उपचार के लिए आयुष पद्धति को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ देगी। राज्य को एनीमिया मुक्त बनाने के सरकार के विज़न के दृष्टिगत राज्य से एनीमिया को खत्म करने की एक रणनीति के रूप में आयुष को भी शामिल किया जायेगा।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान

115. पंडित भगवतदयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (पी.जी. आई.एम.एस.), रोहतक, राज्य में आयुर्विज्ञान का प्रतिष्ठित संस्थान है। मुझे यह घोषणा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पी.जी.आई.एम.एस. ने अपने अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू करने की चुनौती स्वीकार की है। मुझे आशा है कि वर्ष 2022–23 में पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा चालू हो जाएगी।

116. सरकार महेन्द्रगढ़, भिवानी, जींद और गुरुग्राम जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और शहीद हसन खां मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज, नूंह में एक डेंटल कॉलेज की स्थापना करने जा रही है। इन कॉलेजों के निर्माण पर लगभग 2600 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है, जो वर्ष 2022–23 से अगले दो वर्षों में पूरा होने की सम्भावना है। वर्ष 2022–23 में फरीदाबाद जिले में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज भी पूरी तरह से संचालित होने की सम्भावना है। सरकार ने कैथल, सिरसा और यमुनानगर जिलों में नये मेडिकल कॉलेज खोलने की भी मंजूरी दी है, जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की जा रही है। मरीजों की अधिकता होने के कारण कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है।

117. लगभग पांच वर्ष पूर्व, मैंने लक्ष्य निर्धारित किया था कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि राज्य की जनता ने इस

लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में काम करने के लिए सरकार को सक्षम बनाने की शक्ति का आशीर्वाद मुझे दिया है। इस बजट में, मैं पलवल, चरखी दादरी, पंचकूला और फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूँ। इन चार जिलों में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। उपयुक्त भूमि के चयन और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया अगले तीन महीनों में शुरू की जाएगी। वर्ष 2025 तक, हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों में स्नातक की सीटों की संख्या वर्ष 2015 के 700 से बढ़कर 3035 हो जाएगी।

118. सरकार का फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला जिलों में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य है। इनका निर्माण कार्य 194.30 करोड़ रुपये की लागत से जारी है और आगामी तीन माह में पूरा होने की सम्भावना है। जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा और यमुनानगर में स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेजों और इस बजट में घोषित अर्थात पलवल, चरखी दादरी, पंचकूला और फतेहाबाद के मेडिकल कॉलेजों के साथ भी नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।

119. सरकार ने टेलीमेडिसन सेवाओं की स्थापना और उन्नयन को मंजूरी दे दी है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ने वाले मेडिकल कॉलेजों के साथ टेली–कंसल्टेशन रेफरल सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है, जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उन रोगियों को रैफर करने की क्षमता प्रदान की जा सकती है, जिन्हें सीधे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर तृतीयक देखभाल की आवश्यकता है। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अस्पताल प्रशासन में नए पाठ्यक्रम शुरू किया जाना प्रस्तावित है ताकि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विशेष रूप से समय के साथ जटिल हो चुके अस्पताल प्रशासन–प्रबंधन में शिक्षा प्रदान की जा सके। दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी और जे.सी. बोस विश्वविद्यालय जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों तथा मेडिकल कॉलेजों के साथ मिलकर चिकित्सा प्रौद्योगिकी, जैव–चिकित्सा इंजीनियरिंग में संयुक्त डिग्री चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी।

120. एलोपैथी और आयुष की उपचार पद्धतियों के संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक क्षेत्र एक–दूसरे को समझ सके। मैं आशा करता हूँ कि वर्ष 2022–23 में किसी एक मेडिकल कॉलेज में हरियाणा स्वास्थ्य विज्ञान संश्लेषण एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित हो जाएगा। सरकार केंद्र की स्थापना के लिए धनराशि उपलब्ध कराएगी। मुझे आशा है

कि आने वाले समय में दोनों पद्धतियों का एक पद्धति में समिश्रण होने से बीमारियों का उपचार होगा।

121. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रों के लिए 8925.52 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों से 21.65 प्रतिशत अधिक है।

महिला एवं बाल विकास

122. सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के विकास तथा सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को कम करना और उनके विकास के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना और लैंगिक समानता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस दिशा में, 4000 प्ले स्कूलों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं समेत क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है और विभिन्न मदों की खरीद प्रक्रियाधीन है।

123. बाल कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए, सरकार शीघ्र ही आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और विकास मानकों की निगरानी हेतु बाल संवर्धन प्रणाली लागू करेगी। इस बाल संवर्धन प्रणाली को पी.पी.पी. से जोड़ा जाएगा और परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चे को कुपोषण से बचाने और उसके पालन–पोषण के लिए अतिरिक्त पोषण सहायता प्रदान की जाएगी।

124. सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.) को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, जिसके तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को तीन किस्तों में 5000 रुपये की राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को केवल पहले बच्चे के लिए 3 किस्तों में प्रति लाभार्थी 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रति लाभार्थी 5000 रुपये देने की इस योजना का विस्तार राज्य के खजाने से दूसरे बच्चे के लिए भी किया जाएगा।

125. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के लिए 2017.24 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 33.7 प्रतिशत अधिक है।

कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण

126. सरकार का इरादा कौशल विकास के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित करने का है ताकि कौशल विकास संस्थान बड़ी संख्या में छात्रों को गुणवत्तापरक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। इस उद्देश्य हेतु, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एस.वी.एस.यू.) को निजी संस्थानों को कौशल प्रमाणन हेतु संबद्ध करने की शक्तियां दी गई हैं। एस.वी.एस.यू. ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एन.एस.क्यू.एफ.) संरेखित पाठ्यक्रम चलाने वाले के लिए संस्थानों की संबद्धता की प्रक्रिया शुरू कर दी है तथा मान्यता, परीक्षा और प्रमाणन करने की जिम्मेदारी एस.वी.एस.यू. की है।

127. विगत में, कुशल शिल्पकार युवा प्रशिक्षुओं को अपने शिल्प का कौशल सिखाते थे। आधुनिक शिक्षा प्रणालियों के आगमन के साथ यह प्रणाली विलुप्त प्रायः हो गई है। व्यवसाय और शिल्प में गुरु–शिष्य परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है ताकि गुरु का कौशल अगली पीढ़ी के शिल्पकारों को दिया सके। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एस.वी.एस.यू.) गुरु–शिष्य कौशल प्रशिक्षण तंत्र की स्थापना करेगा, जो विगत की परंपरा और आधुनिक प्रमाणन प्रणालियों का विलय करेगा। इस योजना के तहत शिक्षा की पूर्व मान्यता के तंत्र का उपयोग करके अनुभवी शिल्पकारों (RPL) को नामांकन, मूल्यांकन और प्रमाणिकरण किया जाएगा। प्रमाणित शिल्पकारों को गुरु के रूप में नामित किया जाएगा। वे प्रशिक्षुओं को कौशल प्रशिक्षण दे सकते हैं। प्रशिक्षु या शिष्य, कोई भी युवा हो, जो शिल्प के व्यवसाय को सीखना चाहते हैं, वे परिवार पहचान पत्र डेटा के माध्यम से नामांकित होंगे। गुरु, शिष्यों को प्रशिक्षण देंगे और सीखने के अवसर प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण के पूरा होने पर शिष्य का मूल्यांकन किया जाएगा और सफल मूल्यांकन पर एस.वी.एस.यू. द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एस.वी.एस.यू. ने वर्ष 2022–23 में गुरु–शिष्य योजना के तहत 25,000 गुरु और 75,000 शिष्यों सहित 1 लाख व्यक्तियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा है। हम यह देखने के लिए कि क्या इस योजना को अगले साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, वर्ष के अंत में योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करेंगे।

128. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (एन.ई.पी.–2020) सामान्य शिक्षा प्रणालियों में कौशल प्रशिक्षण को शामिल करने की आवश्यकता पर बल देती है। हमारे युवाओं को भविष्य की रोजगार की जरूरतों के अनुसार कुशल होना चाहिए।

में सभी सरकारी कॉलेजों और सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 की इस सिफारिश को लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। सामान्य शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रदान की गई योग्यता के अतिरिक्त एस.वी.एस.यू. द्वारा कौशल प्रमाणन प्रदान किया जाएगा। मुझे आशा है कि इस प्रणाली के माध्यम से छात्रों के कौशल प्रशिक्षण और रोजगार क्षमता का विस्तार काफी हद तक बढ़ जाएगा।

129. उद्योगों को कुशल, रोजगार योग्य युवा उपलब्ध कराने के क्रम में एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा एस.वी.एस.यू. और औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों के सहयोग से अपने औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कौशल प्रशिक्षण केंद्र युवाओं को नामांकित करेंगे और प्रशिक्षण की दोहरी ट्रैक प्रणाली का उपयोग करके उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। मूल्यांकन और प्रमाणन एस.वी.एस.यू. द्वारा किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इससे हरियाणा में रोजगार के इच्छुकों और नियोक्ताओं के बीच की खाई भर जाएगी।

130. 'दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली' के तहत वर्तमान में 306 व्यावसायिक इकाइयों में प्रशिक्षण के दौरान उद्योग के अनुभव के साथ कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार ने दोहरी प्रणाली प्रशिक्षण में 2022–23 में आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिक 44 व्यावसायिक इकाइयों को जोड़ने के लक्ष्य के साथ योजना बनाई है।

131. अप्रेंटिस अधिनियम के तहत, कुल 78 सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया है और वर्ष 2021–22 में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के तहत 14,387 अपरेंटिस नियुक्त किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 2017–18 से अब तक प्रति लाख जनसंख्या पर प्रशिक्षुओं की नियुक्ति में हरियाणा को देश में लगातार पहला स्थान मिला है।

रोज़गार

132. माननीय अध्यक्ष महोदय, महामारी के बाद सरकार ने भौतिक विकास और मानव विकास के प्रमुख पहलुओं के रूप में युवा उद्यमिता और रोजगार सृजन पर अधिक बल दिया है। परिवार पहचान–पत्र डाटा से बेरोजगार युवाओं की वास्तविक संख्या सामने आई है और सरकार ऐसे युवाओं को उद्यमी और रोजगार योग्य बनाने के लिए रणनीतियाँ बनाएगी।

133. हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों तथा सरकार में अस्थायी कार्य आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए सक्षम युवा प्लेसमेंट सेल और हरियाणा रोजगार पोर्टल एक प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किए गए हैं। रोजगार पोर्टल पर 14,574 कर्मचारियों और 27 जॉब एग्रीगेट्र्स को जोड़ा गया है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु युवाओं की सुविधा के लिए सरकार की प्रदेश–भर में 200 रोजगार मेले आयोजित करने की योजना है।

134. हरियाणा के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने एक कौशल प्रशिक्षण एवं विकास तंत्र बनाया है, जो विदेशों में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को कौशल प्रदान करेगा। इस तंत्र के कार्यान्वयन और विदेशों में प्लेसमेंट के अवसर तलाश करने के लिए नव–स्थापित विदेश सहयोग विभाग में हरियाणा विदेश रोजगार प्लेसमेंट सैल स्थापित किया जाएगा। मुझे आशा है कि यह सैल अगले दो वर्षों में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण व प्लेसमेंट दिलवाएगा।

135. कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को एक कम्पनी के रूप में स्थापित किया गया है। यह निगम सरकारी और सरकार के स्वामित्व वाले संगठनों में मानव शक्ति नियुक्त करेगा और इसके द्वारा अनुबंधित मानव शक्ति को ठेकेदारों के शोषण से बचाएगा। मानव शक्ति की नियुक्ति, उनका कौशल विकास, कार्य प्रदर्शन आकलन, पारिश्रमिक और वैधानिक लाभ देने का काम तकनीक का उपयोग करते हुए पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से किया जाएगा।

136. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में कौशल विकास एवं रोजगार क्षेत्र के लिए 1671.37 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 23 प्रतिशत अधिक है।

श्रम

137. हमारे श्रम बल के हित के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण आवश्यक है। सरकार का लक्ष्य डायल–112 के साथ एकीकृत मेजर एक्सीडेंट हैजर्ड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने का है ताकि उन शिकायतों और दुर्घटनाओं पर त्वरित रिसपॉन्स प्रदान किया जा सके, जिनकी बड़ी दुर्घटनाओं में तब्दील होने की संभावना है। श्रमिकों की नियमित चिकित्सा जाँच के लिए सरकार पानीपत, सोनीपत, अंबाला, हिसार, रोहतक

और जींद में 6 नई औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी।

138. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मानेसर में 500 बिस्तरों वाले नए अस्पताल के निर्माण और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा गुरुग्राम में मौजूदा अस्पताल की क्षमता को 163 बिस्तरों से बढ़ाकर 500 बिस्तर करने से औद्योगिक श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ होंगी। हिसार, रोहतक, सोनीपत, अंबाला, करनाल और पंचकूला में छः नए 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों तथा करनाल, रोहतक, झाड़ली, गन्नौर, मुलाना, घरौंडा, फर्रुखनगर, कोसली, साहा, छछरौली, पटौदी, भूना, चरखी दादरी और उकलाना मंडी में 14 नए ई.एस.आई. औषधालयों का निर्माण शुरू किया जाएगा।

139. औद्योगिक श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने हेतु ईएसआईसी औषधालयों को एक्स–रे मशीन, लैब सुविधाएं और उपकरण जैसे सेल काउंटर, ऑटोएनलाइजर, दूरबीन माइक्रोस्कोप और दंत चिकित्सा सुविधा के साथ सुदृढ़ किया जाएगा।

140. बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को पैनलबद्ध निजी अस्पतालों के माध्यम से कैशलेस आधार पर द्वितिय स्तर की चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

141. बाल मजदूरी और प्रवासी पुनर्वास के मुद्दे को हल करने के लिए सरकार गुरुग्राम और फरीदाबाद में बाल श्रम पुनर्वास केंद्र तथा प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद और पानीपत में 4 नए स्कूल खोलेगी।

142. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में श्रम क्षेत्र के लिए 221.97 करोड़ रुपये आवंटित करता हूँ, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों पर 240.1 प्रतिशत की वृद्धि है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

143. वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों, बौनों, किन्नरों और एक लड़की वाले परिवारों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 2500 रुपये प्रति माह की दर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। निराश्रित बच्चों को 1600 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा अधिकतम 2 बच्चों के लिए और स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को 1900 रुपये प्रति माह की दर

से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से 28.76 लाख लाभार्थियों के खातों में सीधे वितरित की जा रही है। इन सहायता योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जा रहा है ताकि लाभार्थी को किसी कार्यालय में जाए बिना इन योजनाओं का लाभ सक्रिय रूप से और स्वतः प्रदान किया जा सके और साथ ही गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों को हटाया जा सके।

144. सरकार अंबाला में मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक आजीवन देखभाल गृह की स्थापना करेगी जिसके वर्ष 2023–24 तक शुरू होने की उम्मीद है।

145. सरकार 'एचआईवी से पीड़ित लोगों' (पीएलएचआईवी) को मुफ्त इलाज मुहैया करा रही है। ऐसे वंचित परिवारों की सहायता के लिए सरकार ने एचआईवी–एड्स के इलाज के लिए नियमित एंटीरेट्रोवायरल उपचार ले रहे लगभग 21,000 व्यक्तियों को 2250 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

146. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और खिलाड़ियों को उनकी बेटियों की शादी के लिए सहायता प्रदान की जाती है। अनाथ बच्चियों को भी यह सहायता प्रदान की जाती है। सरकार का सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विवाह के पंजीकरण के समय पीपीपी डाटा के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से स्वतः सहायता उपलब्ध करवाने की योजना को प्रो–एक्टिव मोड पर लागू करने का प्रस्ताव है। इससे आवेदन प्राप्त करने, उनकी जाँच करने और सहायता जारी करने में होने वाली देरी को काफी हद तक कम किया जा सकेगा और पात्र परिवारों को शादी के खर्चों के लिए समय पर मदद मिलेगी।

147. डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत 8000 रुपये से 12,000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के दायरे को 2021–22 से 4 लाख रुपये तक आय सीमा के साथ समाज के सभी वर्गों के लिए बढ़ाया गया है।

148. मैं वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में सामाजिक सशक्तिकरण क्षेत्र के लिए 10,229.93 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो चालू वर्ष के बजट अनुमान का 22.47 प्रतिशत की वृद्धि है।

सभी के लिए आवास

149. सभी के लिए आवास लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान करने की दिशा में भी एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस उद्देश्य को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एक नया विभाग 'सभी के लिये आवास' बनाया गया है और विभिन्न आवास योजनाओं को सम्मिलित करके एक ही छत के नीचे लाया गया।

150. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) के तहत कुल 30,789 मकानों के लक्ष्य के मुकाबले 21,551 मकानों को मंजूरी प्रदान की गई और 20,659 मकान बनाये जा चुके हैं। सरकार की वर्ष 2022–23 के दौरान प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई–यू) के घटक की भागीदारी से किफायती आवास (एएचपी) के तहत 20,000 मकानों के निर्माण की योजना है।

151. जिन लोगों की आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है और परिवार पहचान पत्र डाटा के आधार पर जिनके पास आवासीय इकाई नहीं है, उनका सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण से ऐसे लोगों का पता लगेगा जिन्हें सभी के लिए आवास योजना के तहत मकान के लिए सरकार द्वारा सहायता की आवश्यकता होगी। मुझे उम्मीद है कि ऐसे सभी लोगों, जिन्हें सहायता की आवश्यकता होगी, की संख्या उपलब्ध होने के बाद वित्त वर्ष 2022–23 में कार्य योजना तैयार की जाएगी।

152. मैं सभी के लिये आवास क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में 383.11 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 104.7 प्रतिशत अधिक है।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति

153. पात्र परिवारों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान (एफ.पी.एस.) पर स्थापित ई–पी.ओ.एस. उपकरणों के माध्यम से किया जा रहा है। सरकार ने पी.पी.पी. डाटाबेस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) को लागू करने का निर्णय लिया है। एकीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके परिणामस्वरूप निर्दिष्ट श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड स्वतः और सक्रिय रूप से उपलब्ध होंगे। पी.पी.पी. के माध्यम से ऐसे लगभग 4 लाख परिवारों की पहचान की गई है, जो पात्र हैं परन्तु उनके पास बी.पी.एल. या ओ.पी.एच. राशन कार्ड नहीं हैं।

सरकार ऐसे परिवारों को पी.डी.एस. के तहत पात्र लाभार्थियों की सूची में शामिल करने के लिए उनसे संपर्क करेगी। अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों के लोगों को अपना अधिकार पाने के लिए वर्षों इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

154. 'एक राष्ट्र–एक राशन कार्ड' योजना (ओ.एन.ओ.आर.सी.) के तहत, अन्य राज्यों के लाभार्थी अपना राशन हरियाणा से और यहाँ के लाभार्थी दूसरे राज्यों से ले सकते हैं। 'एक राष्ट्र–एक राशन कार्ड' योजना के तहत दिसंबर 2021 में लेनदेन के 23,542 मामले हुए और इस दिशा में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर रहा।

155. उचित मूल्य की दुकानों (एफ.पी.एस.) के राजस्व और व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए, इच्छुक एफ.पी.एस. को कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) के रूप में कार्य करने का विकल्प दिया जाएगा।

156. सरकार ने आई.टी. सक्षम प्लेटफॉर्म (ई–खरीद) के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद को सुव्यवस्थित करने की दिशा में प्रगतिशील कदम उठाए हैं। भारतीय खाद्य निगम के साथ तालमेल को भी पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। अब भुगतान सीधे किसानों के खातों में डाला जा रहा है और भुगतान में देरी के मामले में ब्याज का प्रावधान किया गया है।

खेल और युवा मामले

157. यह अत्यंत गर्व की बात है कि हरियाणा खिलाड़ियों की धरा है। मैं खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले अपने खिलाड़ियों का अभिवादन करता हूँ। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत द्वारा प्राप्त पदकों में से लगभग एक–तिहाई पदक हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए हैं। हरियाणा के पैरालम्पिक खिलाड़ियों ने भी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में देश का नाम रोशन किया है।

158. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का लक्ष्य रखने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण प्रयासों में सहायता करने तथा चोट लगने पर उनके उपचार के लिए, ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पंचकूला में राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र (एस.टी.आर.सी.एस.) की स्थापना की जा रही है। इस केंद्र में वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स इन्जरी रिहेबिलिटेशन और स्पोर्ट्स फिजियोथैरेपी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे

प्राप्त अनुभव के आधार पर भविष्य में करनाल, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम में ऐसे केंद्र खोले जा सकते हैं।

159. सरकार की राष्ट्रीय खेल संस्थान (एन.आई.एस.) की तर्ज पर पंचकूला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान स्थापित करने की योजना है, जहां स्पोर्ट्स इन्जरी रिहेबिलिटेशन, स्पोर्ट्स फिजियोथैरेपी और खेल प्रशिक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किए जा सकते हैं।

160. इस वर्ष एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होना है और सरकार ने पात्र खिलाड़ियों को भाग लेने के लिए दी जाने वाली पुरस्कार राशि (पार्टिशिपेशन अवार्ड मनी) का एक–तिहाई जारी करने का निर्णय लिया है, ताकि वे इन खेलों की तैयारी कर सकें।

161. युवा खेल प्रतिभाओं को तराशने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 1100 खेल नर्सरियां खोलने का प्रस्ताव है। इनमें से, 500 नर्सरियां सरकार द्वारा चलाई जाएंगी और 600 नर्सरियां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी शिक्षण संस्थानों और निजी कोचिंग सेंटरों को आवंटित की जाएंगी। मुझे आशा है कि इन नर्सरियों से प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के इच्छुक लगभग 25,000 युवा लाभान्वित होंगे।

162. खेल अकादमी योजना के तहत, सरकार की विभिन्न खेल श्रेणियों में 10 डे–बोर्डिंग और 8 आवासीय अकादमियों को शुरू करने की योजना है, जहां सरकारी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। खेल अवसंरचना के रख–रखाव, प्रबंधन और विकास के लिए प्रतिष्ठित खिलाड़ियों की एक समिति गठित की जायेगी।

163. मैं इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने हरियाणा को चौथे 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स' की मेज़बानी का अवसर प्रदान किया है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश–भर के लगभग 8500 खिलाड़ी 25 खेल श्रेणियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स' पर लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें खेल के बुनियादी ढांचे के विकास का खर्च भी शामिल है। इसमें से 205 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी और शेष राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

164. हरियाणा साहसिक खेल अकादमी के तहत 'मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब' के माध्यम से सरकार साहसिक गतिविधियों में युवा उद्यमिता

को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। युवा उद्यमिता (यूथप्रिन्योरशिप) कार्यक्रम 3 प्रकार के कौशल पर केंद्रित है : मानवीय, वैचारिक और तकनीकी। इस कार्यक्रम के तहत पंचकूला के मोरनी में युवा उद्यमियों का 10 दिवसीय बूट कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 40 स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। यह कार्यक्रम प्रदेश–भर में शुरू किया जाएगा और आगामी वर्ष में 1000 युवाओं को साहसिक गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे उन्हें अपनी आजीविका में मदद मिलेगी।

165. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में खेल एवं युवा मामले क्षेत्रों के लिए 540.50 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ, जो कि चालू वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में 37.2 प्रतिशत की वृद्धि है।

सैनिक एवं अर्ध–सैनिक कल्याण

166. वर्तमान में, अर्धसैनिक बलों में सेवा देने वाले कर्मी पूर्व–सैनिकों की भांति सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में असमर्थ हैं। इसका एक कारण राज्य में पूर्व–अर्धसैनिक बलों के एकीकृत ढ़ंग से उपलब्ध आंकड़ों की कमी है। सरकार की राज्य में सभी पूर्व–अर्धसैनिक बलों को पंजीकृत करने की योजना है, ताकि उन्हें पूर्व–सैनिकों के समान लाभ दिया जा सके।

167. सरकार सभी जिलों में एकीकृत सैनिक एवं अर्धसैनिक सदन बनाएगी, जिसमें जिला सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण कार्यालय, विश्राम गृह, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस), केंद्रीय भंडार विभाग (सीएसडी) और राज्य में सभी पूर्व–सैनिकों और पूर्व–अर्धसैनिकों के लिए बैठक करने हेतु एक मीटिंग हॉल होगा।

168. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में सैनिक और अर्ध–सैनिक क्षेत्र के लिए 136.90 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ।

विकास सक्षम और अवसंरचना विकास

औद्योगिक विकास

169. हरियाणा उद्योग और वाणिज्य में अग्रणी रहा है। सरकार ने गत वर्ष 'हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति–2021 (एच.ई.ई.पी.–2021)' लागू की है। मुझे सदन को यह अवगत करवाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गत वर्ष सरकार ने 21,800 करोड़ रुपये से अधिक के नए निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी है, जो दर्शाता है कि हरियाणा देश में प्रमुख निवेश गन्तव्य के रूप में उभरा है।

170. हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (HSIIDC) पिछले दो दशकों से राज्य के औद्योगिक विकास में अग्रणी रहा है। HSIIDC द्वारा स्थापित औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) राज्य में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के केंद्र हैं। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप्स में बुनियादी ढांचे के सुधार और उन्नयन के लिए HSIIDC द्वारा 1000 करोड़ रुपये की राशि अलग से रखी जाएगी।

171. आने वाला समय डिजिटल तकनीक का है और डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से हुई प्रगति का लाभ उठाने के लिये देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है। मुझे इस गरिमामयी सदन को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी), सोहना में एक इलेक्ट्रोनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जिसकी परियोजना लागत 662 करोड़ रुपये है। एडवांस रोबोटिक्स और नैनो प्रौद्योगिकी सहित इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण को और बढ़ावा देने के लिए, सरकार हरियाणा उद्यमिता और रोजगार नीति (एचईईपी)–2020 की तर्ज पर एक क्षेत्रीय प्रोत्साहन नीति लाएगी।

172. वायु प्रदूषण की गंभीरता से उत्पन्न चिंताओं के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में उद्योगों को प्राकृतिक गैस सहित स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस बदलाव से उद्योगों के लिए उत्पादन लागत में वृद्धि होगी, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होगी। इन उद्योगों को कुछ राहत देने के लिए, मैं दो साल की अवधि के लिए एमएसएमई क्षेत्र के उद्योगों से प्राकृतिक गैस (पाइप या कम्प्रैस्ड) पर एकत्रित वैट पर 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिससे स्वच्छ ईंधन में परिवर्तन के दौरान उन्हें प्रतिस्पर्धा में बने रहने में मदद मिलेगी। यह सतत विकास के सिद्धांत पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता के मद्देनजर किया गया है।

173. स्वच्छ ईंधन की दिशा में उद्योगों की परिवर्तन लागत के लिए भी बुनियादी ढांचे में निवेश की आवश्यकता है। एनसीआर में स्थित एमएसएमई क्षेत्र के उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए, एमएसएमई को उनके बॉयलरों को कोयले या डीजल से स्वच्छ ईंधन में बदलने के लिए पूंजीगत व्यय के 30 प्रतिशत की सीमा तक अधिकतम 15 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। इससे ये उद्योग अनुपालन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे और स्वच्छ वातावरण के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सकेंगे।

174. एचएसआईआईडीसी पानीपत में कपड़ा उद्योग के लिए एक सांझा बुनियादी ढांचे के रूप में भाप बुनियादी ढांचे (स्टीम इन्फ्रास्ट्रक्चर) को बढ़ावा देगा। अगले तीन महीनों में सांझा बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी हेतु एक उपयुक्त तंत्र बनाया जाएगा।

175. औद्योगिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और निर्यातकों की मांगों पर, सरकार औद्योगिक निर्यात के लिए माल ढुलाई सब्सिडी प्रदान करेगी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा निर्यात माल ढुलाई सब्सिडी (एक्सपोर्ट फ्रेट सब्सिडी) योजना अलग से अधिसूचित की जाएगी।

176. कारोबार सुगमता (ईज़ ऑफ डुईंग बिज़नेस) को आगे बढ़ाते हुए, सरकार गैर–जोखिम उद्योगों में आग से सुरक्षा के लिए एक विश्वास–आधारित तंत्र अपनाने का प्रस्ताव करती है। नवीनीकरण हेतु वार्षिक अग्नि सुरक्षा निरीक्षण की आवश्यकता में संशोधन किया जा रहा है। अब अग्नि सुरक्षा निरीक्षण तीन वर्षों में एक बार किया जाएगा। हमें विश्वास है कि उद्योग अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं का पूरी तरह और पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करके परस्पर सहयोग करेंगे ताकि उद्योग में आगजनी की घटनाओं के कारण कोई दुर्घटना न हो।

177. सरकार का हिसार में एक एकीकृत विमानन हब विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके विकास प्रयासों में हिसार एयरपोर्ट एक एंकर का कार्य करेगा। हिसार में 7200 एकड़ से अधिक भूमि को अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (एकेआईसी) योजना के एक भाग के रूप में नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेलवलपमेंट कारपोरेशन (एनआईसीडीसी) के सहयोग से एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) के रूप में विकसित किया जाएगा। इस आईएमसी में वेयरहाउसिंग, कार्गो, प्रशिक्षण एवं सिमुलेशन केंद्र, एयरोस्पेस विश्वविद्यालय और एयरोस्पेस/रक्षा विनिर्माण पार्क जैसी सुविधाएं होंगी। मास्टर प्लान बनाने और पर्यावरणीय मंजूरियां प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

178. सरकार ने औद्योगिक विकास के नए क्षेत्रों में हरियाणा को एक निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति और एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण नीति भी तैयार की है। इन नीतियों को बहुत जल्द अधिसूचित किया जाएगा।

179. सरकार ने सामाजिक–आर्थिक रूप से हाशिए पर खड़े समुदाय की सहायता हेतु परम्परागत उद्योग के पुनरुद्धार के लिए 'राज्य लघु पुनरुत्थान योजना कोष' (SFURTIZ) की पहल की है, जिसमें पारंपरिक कारीगर और सेवा क्षेत्र शामिल हैं।

180. उद्योग को और गति प्रदान करने तथा प्रदेश भर में संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, हरियाणा सरकार ने 'प्रोग्राम टू एक्सलरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांसमेंट' (पदमा) योजना की शुरुआत की है। 5 वर्षों की अवधि में, प्रत्येक खण्ड में चिह्नित उत्पाद के लिए एक एमएसएमई सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक खण्ड में स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों, मौजूदा सूक्ष्म उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र, जनसांख्यिकीय रूपरेखा और विकास क्षमता के आधार पर एक उत्पाद की पहचान की गई है।

181. मुझे यह बताते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है कि भारत सरकार के क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत, 13 (एमएसई–सीडीपी) क्लस्टर की पहचान की गई है, जिनमें से 3 क्लस्टर शुरू हो गए हैं और 4 क्लस्टर आंशिक रूप से चालू हैं। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

182. उद्यमिता और छोटे व्यापारियों तथा व्यवसायों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, मैं 'लघु उद्यमिता समर्थन निधि' योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसमें व्यक्तिगत या परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसायों या व्यापार के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए अधिकतम 3 लाख रुपये के ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज सहायता दी जाएगी, जो प्रतिवर्ष अधिकतम 15,000 रुपये तक होगी। एक व्यक्ति या परिवार जिसकी पी.पी.पी. में सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम है, इस सहायता के लिए पात्र होगा। इस स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी अलग से अधिसूचित कर दी जाएगी।

183. स्थानीय उद्यमों विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठन द्वारा संचालित उद्यमों को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में जिला व्यापार मेले वर्ष में एक बार आयोजित किये जायेंगे। इन मेलों से स्थानीय उद्यमों को एक बड़े बाजार तक पहुंच करने का मंच उपलब्ध होगा। जिला प्रशासन जिले के लिए सुविधाजनक समय के अनुसार मेले के आयोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

मुझे उम्मीद है कि इससे स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा।

184. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में उद्योग क्षेत्र के लिए 598.20 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ, जो कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 31.1 प्रतिशत की वृद्धि है।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)

185. माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क और रेल अवसंरचना एक राष्ट्र की रीढ़ होती है और इसके आर्थिक विकास की संचालक शक्ति है। वर्ष 2021–22 के दौरान 130 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण किया गया है। मैं वर्ष 2022–23 के दौरान 300 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 6,000 किलोमीटर सड़कों के सुधारीकरण का प्रस्ताव करता हूँ। सरकार ने चिन्हित स्थलों पर भीड़ कम करने के लिए 12 नए बाईपास के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत राज्य में सड़कों को चौड़ा करने और सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित 2500 किलोमीटर सड़कों में से पिछले दो वर्षों में 1,443 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2022–23 में सरकार का प्रयास शेष सड़कों के कार्यों को पूरा करने का है।

186. सड़कों के सुदृढ़ीकरण और रखरखाव के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए, मैं लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के बजट का 50 प्रतिशत सड़कों के सुदृढ़ीकरण और रखरखाव के लिए निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

187. मैंने पिछले साल अपने बजट में रेल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के बारे में उल्लेख किया था। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वर्तमान में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और कॉरिडोर के कुछ हिस्सों का कार्य पहले ही आवंटित किया जा चुका है।

188. सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों पर सभी लेवल क्रॉसिंग को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा में 1966 से 2014 तक 51 रेल ओवर ब्रिज (आरओबी)/वाहन अंडरपास (वीयूपी) बनाए गए जबकि अक्टूबर, 2014 से नवंबर, 2021 तक 103 आरओबी/वीयूपी के निर्माण कार्य को शुरू किया गया, जिनमें से 58 आरओबी/वीयूपी पूरे हो

चुके हैं और 45 आरओबी/वीयूपी का कार्य प्रगति पर है। 1966 से 2014 के बीच कुल 51 आरओबी/वीयूपी का कार्य शुरू किया गया था। मैं 2022–23 के दौरान 22 अतिरिक्त आरओबी/वीयूपी का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

189. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने हरियाणा में विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं में तीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे यानी दिल्ली–वडोदरा एक्सप्रेसवे, इस्माइलाबाद–नारनौल ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे और दिल्ली–कटरा एक्सप्रेसवे शामिल हैं। अन्य चल रही परियोजनाओं में गोहाना–सोनीपत सड़क को 4–लेन, नारनौल बाईपास को 6–लेन, रेवाड़ी–नारनौल–राजस्थान सीमा सड़क को 4–लेन, पानीपत–दिल्ली सड़क को 8–लेन, रेवाड़ी बाईपास को 4–लेन, सोनीपत–मेरठ सड़क यूपी सीमा तक को 4–लेन, नई 4–लेन जींद–गोहाना सड़क, गुरुग्राम–पटौदी–रेवाड़ी सड़क को 4–लेन, साहा से शाहबाद सड़क को 4–लेन और मंडी डबवाली से चौटाला सड़क को 6 लेन करना शामिल है। अंबाला और भिवानी शहरों के लिए रिंग रोड तथा हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद शहरों के लिए बाईपास के प्रस्ताव पहले ही भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं।

190. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में सड़क और रेल अवसरंचना क्षेत्रों के लिए 4752.02 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ, जो कि वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों की तुलना में 59.2 प्रतिशत की वृद्धि है।

सिंचाई और जल संसाधन

191. माननीय अध्यक्ष महोदय, जल संरक्षण की मांग, प्रबन्धन और वेस्ट वॉटर रिसाइकलिंग तीन मुख्य सिद्वान्त हैं, जिनका उल्लेख मेरे पिछले बजट में घोषित की गई 'द्विवार्षिक जल प्रबंधन योजना', में है। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम इन तीनों मोर्चों पर आगे बढ़े हैं।

192. राज्य में गिरते भूजल स्तर की रोकथाम के लिये सरकार ने किसानों के खेतों में रिचार्ज बोरवेल लगाने की शुरुआत की है। इस पहल की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए, मैं वर्ष 2022–23 में 5000 रिचार्ज बोरवेल के निर्माण के लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे यह जानकारी है कि किसान इस पहल के विस्तार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी पानी की चिंताए कम हो जाएगी।

193. सरकार अटल भू–जल योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य राज्य में जल संकट से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में चिन्हित 14 जिलों की 1669 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भागीदारी से सतत भू–जल प्रबंधन को प्रदर्शित करना है। सरकार सिंचाई के लिए मानसून के पानी का उपयोग करने का एक नया विज़न लेकर आई है। इससे किसानों को लाभ होगा, क्योंकि खेतों में जलभराव होने से राहत मिलेगी और पानी की आवश्यकता पड़ने पर खेतों की सिंचाई करने में भी मदद मिलेगी।

194. लघु सिंचाई नहरों पर नई पुलियों के निर्माण के लिए वर्तमान में मानदंड एक पुलिया से दूसरी पुलिया के बीच न्यूनतम दूरी 1000 मीटर होनी चाहिए। किसानों द्वारा इस मानदंड में ढील देने की मांग उठाई गई है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माइनर के दोनों ओर खेतों को जोड़ने हेतु लघु सिंचाई नहरों पर नई पुलियों के निर्माण के लिए मानदंड को संशोधित कर पुलिया के दोनों ओर की दूरी को वर्तमान पुलों/पुलियाओं के बीच की दूरी 500 मीटर कर दी जाएगी। वर्तमान में 1308 पुल हैं और मानदंडों में ढील देने के बाद, अनुमान है कि लगभग 1000 और पुलियों की मांग आ सकती है। मुझे आशा है कि इन 1000 पुलियों का निर्माण अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

195. वॉटर कोर्स के किसी भी मरम्मत कार्य या उसे 24 फीट से 40 फीट प्रति एकड़ तक बढ़ाने के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत सूक्ष्म सिंचाई की शर्त अनिवार्य की गई है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जिस गति से अपनाई जा रही है और एक अंतरिम उपाय के रूप में जब तक हम सूक्ष्म सिंचाई के तहत एक बड़े क्षेत्र को कवर करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, मैं एक वर्ष की अवधि के लिए वॉटर–कोर्स की मरम्मत हेतु न्यूनतम 30 प्रतिशत सूक्ष्म सिंचाई की शर्त में ढील देने का प्रस्ताव करता हूँ, जहां वॉटर–कोर्स की अत्यधिक क्षति होने के कारण मरम्मत की तत्काल आवश्यकता है और संरचनात्मक रूप से पुनर्वास की आवश्यकता है।

196. हरियाणा के उत्तरी भाग में शिवालिक की पहाड़ियां और दक्षिणी भाग में अरावली की पहाड़ियों में प्रमुख वाटर शैड हैं। इन पहाड़ियों में कई झरने और छोटी दरारें हैं, जिनसे मानसून के दौरान पानी आता है। इनसे बहते पानी के संरक्षण और उपयोग के लिए शिवालिक और अरावली की पहाड़ियों में चैक डैम बनाने की योजना बनाई गई है। इन चैक डैम की कुल भण्डारण क्षमता लगभग 37.36 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी।

197. पहले चरण में 35 एसटीपी के उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग 23,359 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई के लिए किया जा रहा है। गुरुग्राम और झज्जर जिलों में सिंचाई उद्देश्यों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग हेतु गुरुग्राम शहर के सीवरेज से उपचारित अपशिष्ट जल उपलब्ध कराने के लिए गुरुग्राम के धनवापुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से चैनल की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है।

198. नहर नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए नए पैरलैल लाइन चैनल के निर्माण और पश्चिमी यमुना नहर (डब्ल्यूजेसी), ऑग्मेंटेशन कैनाल, पैरलैल दिल्ली ब्रांच, हांसी ब्रांच, जवाहरलाल नेहरू नहर (जेएलएन) की रीमॉडलिंग शुरू की गई है। सरकार रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी जिलों में लिफ्ट सिंचाई प्रणाली की पंपिंग मशीनरी की क्षमता और दक्षता में सुधार करेगी।

199. सरकार सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दे रही है और सहायक आधारभूत संरचना पर 85 प्रतिशत खर्च वहन कर रही है जबकि किसानों को लागत का केवल 15 प्रतिशत ही देना पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के 'पर ड्राप मोर क्रॉप' घटक के तहत सब्सिडी के रूप में 1214 करोड़ रुपये का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

200. नूंह और गुरुग्राम जिलों हेतु पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सरकार ने 200 क्यूसेक क्षमता की मेवात फीडर नहर का निर्माण करने का निर्णय लिया है और गुड़गांव जल आपूर्ति (जीडब्ल्यूएस) चैनल की वर्तमान 175 क्यूसेक की क्षमता को बढ़ाकर 475 क्यूसेक करने के लिए इसकी रीमॉडलिंग भी शुरू की गई है।

201. हरियाणा सरकार जल आपूर्ति में सुधार के लिए यमुना नदी की सहायक नदियों रेणुका, किशाऊ और लखवाड़ व्यासी पर अपस्ट्रीम स्टोरेज बांधों के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने पिछले वर्ष दिसंबर में रेणुका बांध के निर्माण की आधारशिला रखी थी। सरस्वती नदी के पुनः प्रवर्तन के लिए 224 हेक्टेयर मीटर की भंडारण क्षमता के आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए 21.01.22 को हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सरकार ने पहले ही 388 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है।

202. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में सिंचाई एवं जल संसाधन क्षेत्रों के लिए 6136.36 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ, जो कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 51 प्रतिशत की वृद्धि है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

203. माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने भारत सरकार के जल जीवन मिशन को सफलतापूर्वक लागू किया है और 19 जिलों में घरों में पाइप से जलापूर्ति का कार्य पूरा किया है। मुझे उम्मीद है कि शेष तीन जिलों जींद, पलवल और नूंह में भी यह कार्य बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। इससे हम 2024 की निर्धारित समय–सीमा से दो वर्ष पूर्व ही हर पात्र घर में पाइप से जलापूर्ति का वायदा पूरा करने में सक्षम होंगे।

204. सरकार ने पेयजल आपूर्ति में वृद्धि, सीवरेज प्रणाली और सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए महाग्राम योजना की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत 132 गांवों की पहचान की गई है।

205. स्वच्छ जल संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बिजली संयंत्रों, उद्योगों, सिंचाई और नगर पालिकाओं द्वारा पेय जल के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं। हरियाणा में 170 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से 1,967 एमएलडी उपचारित अपशिष्ट जल का उत्पादन होता है। उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए शुल्क और जिन क्षेत्रों में इसका उपयोग अनिवार्य किया जा सकता है, के सम्बन्ध में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण से सिफारिशें शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी।

206. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी क्षेत्र के लिए 4554.39 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ, जो कि चालू वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में 33.9 प्रतिशत की वृद्धि है।

बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा

207. प्रदेशवासियों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 2015 में 'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से, नवंबर 2021 तक ग्रामीण घरेलू आपूर्ति (आरडीएस) फीडरों पर कुल उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 39.83 लाख हो गई, जो 2015 से ग्रामीण उपभोक्ताओं की

कुल संख्या में 44.15 प्रतिशत की वृद्धि है। इस योजना के तहत, जनवरी 2022 तक, 5569 गांवों के लिए 1460 फीडरों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति पर लाया गया है। 10 जिलों के शत–प्रतिशत गांवों को अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। साथ ही शेष गांवों को 2022–23 में 24 घंटे बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाएंगे।

208. नलकूप कनेक्शन का इंतजार कर रहे प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने 31 दिसंबर, 2018 तक प्राप्त सभी लंबित आवेदनों के संबंध में कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया है। जनवरी 2022 तक 21 हजार से अधिक कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।

209. हाल ही के वर्षों में किए गए सुधारों और सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे में निरंतर गिरावट के कारण, भारत सरकार द्वारा दी गई रैंकिंग के आधार पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल) को 'ए+' श्रेणी रैंकिग के साथ देश में चौथा तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को 'ए' श्रेणी रैंकिंग के साथ देश में सातवाँ स्थान मिला। तीन वर्ष पहले जारी इन निगमों की रैंकिंग क्रमशः 22वीं और 24वीं थी।

210. राज्य में अक्षय ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल) ने 181 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों को विकसित करने की योजना बनाई है। 39 नए सब–स्टेशनों का निर्माण कार्य व मौजूदा 178 सब–स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि का कार्य प्रगति पर है।

211. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप हरियाणा बिजली निगमों ने पिछले 3 वर्षों के दौरान वित्तीय कारोबार में सराहनीय उपलब्धि हासिल की हैं और वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 688 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 641 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 279 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है।

212. औद्योगिक विकास के लिए बिजली आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा बिजली निगमों द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों से बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। हरियाणा बिजली निगम 2022–23 में औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली के

बुनियादी ढांचे के सुधार और उन्नयन के लिए 1000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) के माध्यम से उद्योगों के लिए टाईम डिफरेंसियेटिड टैरिफ (ToD tariff) लागू करने का भी प्रयास किया जाएगा ताकि बिजली की बेहतर उपलब्धता के समय उद्योगों द्वारा बिजली के उपयोग को परिवर्तित किया जा सके।

213. बिजली क्षेत्र में सतत विकास का मतलब है कि हमें समय के साथ ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की ओर बढ़ना है। मेरा मानना है कि हमें स्वयं सतत विकास की दिशा में बढ़ना चाहिए और सरकारी अधिकारियों द्वारा ऊर्जा की खपत पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। मेरा प्रस्ताव है कि सभी सरकारी कार्यालय, सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालय जहां बिजली की मांग 10 किलोवाट या उससे अधिक है, अगले दो वर्षों में रूफ टॉप या अन्य उपयुक्त सौर प्रणालियों से बिजली का उपयोग करेंगे। सरकारी कार्यालय भी 2022–23 में प्रीपेड मीटरिंग पद्धति अपनाने में आगे आयेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे निजी क्षेत्र को भी अपनी बिजली की जरूरतों के लिए सौर ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

214. पिछले दो वर्षों में, सरकार ने सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने और मौजूदा डीजल पंप सेटों को हरित ऊर्जा से बदलने के लिए लगभग 37,000 डीजल पंप सेटों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों से बदल दिया है। इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए, मैं लक्ष्य को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ और सरकार 2022–23 में 75 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के 50,000 सौर पंप स्थापित करेगी।

215. सरकार ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर गौशालाओं की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैव–ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा देगी। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए एक मैचिंग ग्रांट स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसे नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा जिला परिषदों की साझेदारी के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।

216. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए 7203.31 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ, जिसमें 5983 करोड़ रुपये सब्सिडी कृषि पंपसेट के लिए शामिल है।

परिवहन

217. माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों को सुरक्षित, किफायती, कुशल और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान के लिये हरियाणा की परिवहन प्रणाली देश की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक है। हरियाणा राज्य परिवहन ने 2021–22 में 809 साधारण बसें खरीदी, जो अब कार्यशालाओं में तैयार की जा रही हैं और 20 लग्जरी बसें तथा 150 हीट वेंटिलेटेड एयर कंडीशन (एचवीएसी) बसें खरीदने की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है। 2022–23 में, सरकार 2000 और साधारण बसें जोड़ने का प्रस्ताव करती है, जिनमें से कम से कम 1000 बसें हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा खरीदी जाएंगी। सरकार 50 लग्जरी बसें जोड़ने के अलावा जिन मार्गों पर नियमित बसे चलाना व्यवहार्य नहीं है, उनके लिए मिनी बसें जोड़ेगी।

218. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा राज्य परिवहन इलेक्ट्रॉनिक टिकट प्रणाली को अपनाने जा रहा है, जिसे अप्रैल 2022 से शुरू किया जाएगा। इससे हरियाणा केंद्रीकृत सूचना और प्रबंधन प्रणाली के साथ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) से जुड़ी एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। बस का इंतजार कर रहे यात्री अपने मोबाइल पर वास्तविक समय के आधार पर यह जान सकेंगे कि अगली बस कब पहुंचेगी। इससे यात्री बस स्टॉप या टर्मिनल पर घंटों इंतजार करने की बजाय अपनी यात्रा की योजना पहले से बना सकेंगे। यह प्रणाली यात्रियों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' और उत्तरदायी दक्षता लाएगी।

219. सरकार का लोगों को पॉइंट–टू–पॉइंट परिवहन विकल्प प्रदान करने के लिये एक नई मैक्सी–कैब नीति लाने का प्रस्ताव है। मार्गों का रैंडमाइज्ड आवंटन, मार्ग युक्तिकरण और परिवहन की बेहतर उपलब्धता के साथ पूरी प्रक्रिया को फेसलेस बनाने के लिए स्टेज कैरिज स्कीम के तहत मौजूदा प्रक्रियाओं को संशोधित किया जा रहा है।

220. सरकार का बस पोर्ट की दिशा में बढ़ते हुए प्रमुख शहरों में बस डिपो के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है, जो मल्टी–मॉडल सुविधाएं प्रदान करते हैं और जिनके साथ परिवहन के विभिन्न साधन जुड़ें होते हैं। पीपीपी मोड पर निर्मित इस तरह की पहली सुविधा 2022–23 में फरीदाबाद में शुरू होने की उम्मीद है। वर्ष 2022–23 में अगले बस पोर्ट की शुरुआत गुरुग्राम

में खेड़कीदौला में परिवहन विभाग और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी।

221. चालकों को मानकीकृत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रमुख वाहन निर्माताओं की सांझेदारी से बहादुरगढ़, रोहतक और कैथल में चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर) स्थापित किए गए हैं। करनाल और भिवानी में दो और चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान पूरा होने के अग्रिम चरण में हैं तथा 8 और जिलों में ऐसे संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं।

222. सरकार ने हाल ही में पहले से आवंटित नंबरों समेत 'छोटे पंजीकरण नंबर', नीलामी से आवंटित करने की एक नीति अनुमोदित की है। इससे राजस्व मिलेगा, जिसे जन कल्याण पर खर्च किया जायेगा।

223. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में परिवहन क्षेत्र के लिए 2821.83 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ, जो कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि है।

नागरिक उड्डयन

224. माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके फ्लाइंग को युवाओं के लिये करियर विकल्प के रूप में प्रोत्साहित कर रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 3,221 घंटे का फ्लाइंग प्रशिक्षण दिया गया। सरकार फ्लाइंग के प्रशिक्षण हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने हेतु योजना तैयार करेगी, ताकि अधिक से अधिक युवाओं, विशेष रूप से महिलाओं को व्यावसायिक उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वित्त विभाग द्वारा योजना को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। राज्य में प्रति वर्ष 200 पायलट लाइसेंस जारी करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में 10 सिंगल–इंजन और एक डबल–इंजन एयरक्राफ्ट की खरीद का इरादा है।

225. महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे, हिसार का उद्देश्य एक अंतरराष्ट्रीय मानकों का हवाई अड्डा स्थापित करना है, जिसमें दो समानांतर रनवे, कैटेगरी–।। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) की सुविधा के साथ–साथ सभी मौसम में संचालन के लिए नवीनतम नेविगेशन सहायता की भी सुविधा

होगी। रनवे, टैक्सी वे और एप्रन के निर्माण का कार्य तेज गति से चल रहा है। परियोजना के दूसरे चरण में विकास कार्यों की अनुमानित लागत 945 करोड़ रुपये है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के विकास से हरियाणा को देश के नागरिक उड्डयन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पहचान मिलेगी।

226. माननीय प्रधान मंत्री के 'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) योजना के माध्यम से आम आदमी की उड़ान की आकांक्षाओं को पूरा करने के विज़न के अनुरूप सरकार ने करनाल और भिवानी हवाई पट्टियों को विकसित करने की योजना बनाई है, जिसके लिए रनवे की लंबाई को 3000 फुट से बढ़ाकर 5,000 फुट तक किया जाएगा। इसके लिए भूमि अधिग्रहण और मास्टर प्लान, जिसमें टर्मिनल बिल्डिंग तथा एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी)–सह–फायर स्टेशन शामिल हैं, प्रगति पर है।

227. एरोस्पोर्ट्स और स्काई डाइविंग के संचालन के लिए नारनौल में पूर्ण रूप से एयरो–एडवेंचर सिस्टम विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2022–23 में इन हवाई पट्टियों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए नाइट लैंडिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।

228. राज्य सरकार गुरुग्राम में एक हेलीपोर्ट सुविधा विकसित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ कार्य कर रही है। हेलीपोर्ट न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी की मांग को पूरा करेगा, बल्कि केंद्र सरकार की हेलीकॉप्टर आपातकालीन प्रबंधन योजना (एचईएमएस) के प्रावधानों के तहत चिकित्सा आपात स्थिति में भी सहायक सिद्ध होगा।

229. हरियाणा में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट की दर 21 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दी है।

230. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 886.37 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ, जो कि चालू वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में 380.8 प्रतिशत की वृद्धि है।

नगर एवं ग्राम आयोजना

231. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में जबरन भूमि अधिग्रहण के पुराने इतिहास ने किसानों के बीच कई तरह के विवाद और निराशा पैदा की है। हमारी सरकार यह मानती है कि विकास के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण

किसानों और भूमि मालिकों के हित में नहीं है, इसलिए विकास के लिए आवश्यक भूमि की खरीद हेतु सहमति आधारित नीतियाँ बनाई हैं। किसानों की सहमति से सरकारी परियोजनाओं हेतु भूमि खरीदने के वैकल्पिक तरीके के रूप में ई–भूमि को शुरू किया गया था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने ई–भूमि के माध्यम से 52 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसके लिए भू–मालिकों ने स्वेच्छा से 924 एकड़ जमीन बेची है। सरकार एक लैंड पूलिंग पॉलिसी तैयार कर रही है ताकि लोग अपनी भू–संपत्ति को पूल करके शहरी और औद्योगिक विकास में भागीदार बन सकें। भूमि साझेदारी के लिए एक अलग नीति भी तैयार की जा रही है, जो भू–स्वामियों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाएगी और विकास के बाद भूमि की बिक्री से होने वाली आय में हिस्सा कर सकेंगे। सरकार ने ट्रेडेबल ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) सर्टिफिकेट प्रदान करने के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु एक नीतिगत तंत्र प्रस्तुत किया है। हमारी सरकार विगत के विपरीत राज्य के विकास के लिए लोगों के साथ काम करने में विश्वास करती है।

232. मैंने अपने पिछले बजट में 'विवादों का समाधान' योजना की घोषणा की थी। लंबे समय से बकाया बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की वसूली में सुधार के लिए इस योजना को नवंबर 2021 में पुनः तैयार किया गया है। रियल एस्टेट क्षेत्र की मांग पर, मैं इसे और छः महीनों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस विस्तार से रियल एस्टेट क्षेत्र को ईडीसी के कारण अपने डिफॉल्ट को खत्म करने में मदद मिलेगी और कोविड के बाद की अवधि में आगे बढ़ेंगे।

233. किफायती आवास नीति समाज के मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए वरदान साबित हुई है। मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए आवास सुविधा सृजित करने की इस अभिनव योजना के तहत सरकार ने 1,22,260 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 142 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। फरवरी 2022 तक, 33,000 से अधिक फ्लैट सफलतापूर्वक दिए जा चुके हैं।

234. राज्य में बहु–मंजिला निर्माणों में वृद्धि होने से अपार्टमेंट भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे सामने आए हैं। हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने त्वरित संज्ञान लेकर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी

करने तक के मामलों के लिए ऐसी इमारतों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट के लिए नियम तैयार किए हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद पिरियॉडिक स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए समान प्रावधान करने हेतु हरियाणा बिल्डिंग कोड में संशोधन किया जाएगा। हरियाणा नगर निगम अधिनियम और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसी तरह के उप–नियम जारी किए जाएंगे।

235. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने ई–नीलामी के माध्यम से भू–खण्डों की बिक्री और अपने कर्ज के बोझ को कम करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। हमारी आजादी के 75वें वर्ष को मनाने के लिए एचएसवीपी ने अगले पांच वर्षों में 75 नए क्षेत्रों को विकसित करने की योजना बनाई है, जिसमें 40,000 प्लॉट होंगे।

पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय

236. माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत में विश्वास करती है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सरकार का तीसरा स्तर स्वशासन के मजबूत और जीवंत संस्थानों के रूप में उभरे। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से स्वायत्त, दक्ष और जवाबदेह संस्थाओं के रूप में सुदृढ़ बनाने के लिये कई उपाय किए गए हैं।

237. शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, शहरी स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सभी जिलों में जिला नगर आयुक्तों के पद सृजित किए गए हैं। जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के पद को सशक्त किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों के महापोरों और अध्यक्षों को नगर पालिकाओं के कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने की शक्ति प्रदान की जा रही है ताकि वे प्रभावी ढ़ंग से प्रशासनिक नियंत्रण रख सकें।

238. जनता, स्थानीय निकायों और सरकार के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए, ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया गया है और जल्द ही नगर दर्शन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के निवासी अपनी मांगों, सुझावों और शिकायतों को सीधे पोर्टल पर भेज सकें, जिन्हें सरकार के संबंधित विभागों या स्थानीय निकायों, चाहे पंचायती राज संस्थाएं या शहरी स्थानीय निकाय हों, को भेजा जाएगा।

239. पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को उनके स्वयं के राजस्व के स्रोत उपलब्ध करवाकर और उनकी इच्छा के अनुसार संसाधनों का उपयोग करके उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। स्थानीय निकायों की संपत्ति की बिक्री पर राजस्व अब उन्हें सीधे प्रदान किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकायों के लिए विज्ञापन उप–नियम शीघ्र ही अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है, जिससे विज्ञापन स्थलों की ई–नीलामी के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को राजस्व के अतिरिक्त स्रोत प्रदान होंगे।

240. मुझे छठे वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं और इन सिफारिशों पर कैबिनेट उप–समिति ने विचार किया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार राज्य के स्वयं के कर संसाधनों (एसओटीआर) से राजस्व का 7 प्रतिशत स्थानीय सरकार के संस्थानों अर्थात पीआरआई और यूएलबी को क्रमशः 55:45 के अनुपात में प्रदान करेगी। स्थानीय ग्रामीण आधारभूत संरचना को उपलब्ध कराने और रख–रखाव हेतु जिला परिषदों की क्षमता बढ़ाने के लिए जिला परिषदों को दी गई निधि का अनुपात 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है। मैं हरियाणा ग्रामीण विकास कोष की तर्ज पर हरियाणा शहरी विकास कोष स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दोनों कोषों को एसओटीआर का 1 प्रतिशत आवंटित किया जाएगा।

241. ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के रखरखाव का उत्तरदायित्व जिला परिषद् और नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किया जाएगा, इसके लिए एक तय फॉर्मूला के आधार पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार भी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों से अपने स्वयं के राजस्व के संसाधन बढ़ाने का आग्रह कर रही है।

242. अब तक लिंक सड़कों का रखरखाव और विशेष मरम्मत का कार्य हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) द्वारा किया जाता था। जिला परिषद के कार्यात्मक सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते हुए, मैं एचएसएएमबी द्वारा की जाने वाली ग्रामीण सड़कों की विशेष मरम्मत और रखरखाव का उत्तरदायित्व जिला परिषदों को सौंपने का प्रस्ताव करता हूँ। विशेष मरम्मत और रखरखाव के लिए धन एचएसएएमबी द्वारा मार्केट फीस की आय में से प्रदान किया जाएगा। यह उत्तरदायित्व सौंपने की प्रक्रिया और इस उद्देश्य

के लिए प्रत्येक जिला परिषद द्वारा बजट तैयार करने का कार्य अगले छः महीने में शुरू किया जाएगा।

243. हरियाणा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रगति की निगरानी के लिए जिला आधारित सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक तैयार करने में अग्रणी रहा है। मैं ग्रामीण खण्डों और नगर निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए मिशन अभ्युदय खण्ड और मिशन अभ्युदय नगर कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिससे जमीनी स्तर पर विजन के प्रति जवाबदेही और उत्तरदायित्व की शुरुआत होगी। सरकार का दृढ़ विश्वास है कि हरियाणा में एसडीजी को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए संरचनात्मक सुधार के साथ विकेन्द्रीकृत विकासात्मक और निगरानी प्रयासों के माध्यम से विकास के बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

244. शहर और कस्बे समाज की दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। शहरों और कस्बों को आधारभूत संरचना के प्रावधान के अलावा गुणवत्तापरक जीवन प्रदान करना अनिवार्य है। मैं हमारे शहरी क्षेत्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहलुओं के विकास के लिए एक नई योजना – दिव्य नगर योजना – शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। दिव्य नगर योजना यूएलबी को वाटिका क्लस्टर, ऑक्सी–वन, पार्कों, ग्रीन स्पेस, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सांस्कृतिक केंद्रों, खेल सुविधाओं और इस तरह के अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं की तर्ज पर राज्य प्रायोजित योजना के रूप में निधि प्रदान करेगी। इस योजना के तहत, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए परियोजना लागत का 60 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा और 40 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जल्द ही योजना को अधिसूचित किया जाएगा।

245. आर्थिक रूप से कमजोर नगर पालिकाओं में बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने और वित्तीय रूप से सशक्त होने तक इन शहरी स्थानीय निकायों में विकास प्रभावित न हो, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा शहरी विकास कोष से परिव्यय प्रदान किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर नगर पालिकाओं को धनराशि सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय निकाय विकास निधि पट्ट पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर दी जाएगी। इस पट्ट पोर्टल में नगर निकायों के निश्चित व्यय, उनके स्वयं के राजस्व और इन्हें बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास, केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्रदान किये गए अनुदान की विस्तृत जानकारी होगी।

246. वास्तविक बजट अनुमान और उत्तरदायी वित्तीय प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ने हेतु सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करने के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया है। आयोग ने सिफारिश की है कि वास्तविक राजस्व में सटीकता होनी चाहिए। ऐसा न करने वाली शहरी स्थानीय निकायों के अनुदानों में कटौती की जाएगी। इससे सहायता प्रदान करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर नगर पालिकाओं की उचित पहचान होगी।

247. लोगों को अपने घरों से अपने कार्यस्थल तक आवागमन का माध्यम प्रदान करने के लिए शहरी परिवहन महत्वपूर्ण है। शहरीकरण की तेज गति और शहरों के विकास के साथ, शहरी परिवहन की आवश्यकता को तीव्र रूप से महसूस किया गया है। सरकार रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और हिसार में बसों के माध्यम से एक सुव्यवस्थित शहर परिवहन सेवाएं शुरू करेगी और पायलट के तौर पर चार्जिंग सयंत्र के साथ इलेक्ट्रिक बस की सुविधा भी शुरू की जाएगी। हरियाणा के शहरीकरण के रूप में गतिशीलता की ओर ध्यान केंद्रित करने हेतु शहर परिवहन के संचालन के लिए परिवहन विभाग में एक नया विशेष प्रयोजन वाहन सृजित किया जाएगा।

248. सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 845 ऐसी अनधिकृत कॉलोनियों की पहचान की है जिन्होंने अपनी कॉलोनियों को नियमित करने के लिए आवेदन किया है और बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान की मांग की है। पिछले वर्ष इसी सदन में कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कानून पारित किया गया था। मुझे विश्वास है कि सरकार अन्य आवश्यकताओं को पूरा करेगी और 2022—23 में इन कॉलोनियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करेगी। सरकार ने एचएसवीपी सेक्टरों के अलावा शहरी क्षेत्रों में स्थित संपत्ति के उप—विभाजन और बंटवारे की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए एक नीति को भी मंजूरी दी है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नीति शीघ्र ही अधिसूचित की जाएगी और शहरी क्षेत्रों के कई निवासियों को राहत प्रदान होगी।

249. ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस की भावना से ट्रेड लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार इस सत्र में हरियाणा नगर निगम अधिनियम और हरियाणा नगर पालिका अधिनियम में संशोधन पेश करेगी, जिससे कई उद्योगों और व्यवसायों को प्रतिवर्ष ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता से मुक्ति मिलेगी।

250. 10,000 से अधिक आबादी वाले महाग्राम में सरकार सभी उपनगरीय सुविधाएं जैसे सीवरेज, पाइप से पेयजल और स्ट्रीट लाइट और अन्य सुविधाएं प्रदान करेगी। अब तक 30 गांवों में सीवरेज का कार्य शुरू किया गया है।

251. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रे–जल प्रबंधन एक मुद्दा बन गया है। सरकार इस समस्या के प्रति सचेत है और 3430 ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए दो वर्षों के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है, जिनमें से 2831 ग्राम पंचायतों में कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन 3430 ग्राम पंचायतों में प्रदूषित तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य भी सरकार द्वारा हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिशों एवं तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है। उन गांवों जहां प्राकृतिक तकनीकों पर आधारित प्रक्रियाएं जैसे वेटलेंड या अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब संभव नहीं हैं, में भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। उपचारित जल का उपयोग आस–पास के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए किया जाएगा जिससे जल संसाधनों पर दबाव कम होगा और जल संरक्षण में मदद मिलेगी। सरकार कार्यान्वयन की गति के आधार पर भू–जल प्रबंधन और तालाबों के कायाकल्प के लिए वित्त पोषण बढ़ाने में संकोच नहीं करेगी।

252. गांवों में पुस्तकालयों की स्थापना के लिए सरकार कदम उठाएगी, जिसके लिए सरकार द्वारा धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायतों की पहचान शुरू कर दी गई है। विकास और पंचायत विभाग इन पुस्तकालयों के लिए वित्त पोषण के स्वरूप और प्रबंधन संरचनाओं को अधिसूचित करेगा।

253. अगले तीन वर्षों में सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से ई–लाइब्रेरी सुविधाओं से युक्त एक जिला स्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय सभी के लिए खुला होगा और शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित शैक्षणिक पुस्तकालयों के विपरीत इसमें पुस्तकों, पत्रिकाओं, सामान्य रुचि की पत्रिकाओं के साथ रिडींग रूम की सुविधा भी होगी। इस उद्देश्य के लिए सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग नोडल विभाग होगा। योजना का विवरण शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा।

254. स्वच्छ भारत मिशन का कार्यान्वयन उत्साह और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में, हरियाणा ने शत–प्रतिशत खुले में शौच मुक्त

(ओडीएफ) ग्राम पंचायत का दर्जा हासिल किया है और 422 ग्राम पंचायतों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा भी हासिल किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में, हरियाणा की पांच शहरी स्थानीय निकायों – करनाल, रोहतक, पंचकूला, गुरुग्राम और अंबाला को 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले यूएलबी के रूप में मान्यता मिली है। नगर निगम गुरुग्राम ने 'सफाईमित्र सुरक्षा चुनौती' के तहत भारत के 246 शहरों में चौथा स्थान हासिल किया है।

255. उत्तरदायी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने हेतु शासन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग महत्वपूर्ण है। फरीदाबाद और करनाल स्मार्ट सिटी होने के नाते प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने और एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसीएस) स्थापित करने के लिए सक्षम थे। गुरुग्राम ने गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण के माध्यम से आईसीसीसी की स्थापना की। इससे प्राप्त अनुभवों के आधार पर, मेरा मानना है कि सभी जिला मुख्यालयों में आईसीसीसी की स्थापना की जानी चाहिए। सरकार 2022–23 से अगले दो वर्षों में शेष 19 जिला मुख्यालयों में आईसीसीसी स्थापित करने के लिए कदम उठाएगी।

256. जान–माल की हानि से बचने के लिए आग की घटनाओं से तत्काल निपटा जाना आवश्यक है। घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम) में सुधार करने के लिए, राज्य भर में फायर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेवाओं को डायल–112 से जोड़ा गया है। हमें अग्नि सुरक्षा सेवाओं के आधारभूत संरचना में भी सुधार करने की आवश्यकता है। मैं आग से बचाव और आग की घटनाओं के मामले में त्वरित कार्रवाई में मदद करने हेतु अग्निशमन केंद्रों और अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि को पांच गुणा बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

257. महोदय, सरकार का विश्वास है कि इन निर्णयों से हमारे स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता में उल्लेखनीय सुधार होगा और आगामी वर्षों में शासन के मजबूत और सशक्त संस्थानों के रूप में उभरेंगे।

258. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 6826.13 करोड़ रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 8085.73 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 83.3 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के लिए 54.28 प्रतिशत की वृद्धि है।

आबकारी एवं कराधान और खनन

259. माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल के बिना वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर अंकुश लगाने और फर्जी बिलों की जाँच करने के लिए, सरकार ने मार्च 2021 में हरियाणा राज्य जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट (एचएसजीएसटी–आईयू) की स्थापना की।

260. कारोबार सुगमता (ईज़ ऑफ डुईंग बिज़नेस) में सुधार लाने और रिफंड की त्वरित मंजूरी सुनिश्चित करने हेतु, सरकार ने जीएसटी रिफंड की प्रक्रियाओं और मंजूरी में तेजी लाने के लिए एक महीने के लिए रिफंड अभियान चलाया है।

261. सरकार ने राज्य के सभी डिस्टिलरीज़, बॉटलिंग प्लांट और ब्रूअरीज़ में सीसीटीवी लगाने की पहल की है, जो राज्य में अनुचित गतिविधियों को रोकने और राजस्व की सुरक्षा के लिए आबकारी एवं कराधान आयुक्त के कार्यालय से सीधे जुड़े होंगे। डिस्टिलरी में फ्लो मीटर लगाने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे वास्तविक समय के आधार पर निर्मित शराब की सही मात्रा का आकलन किया जा सकेगा। इससे उत्पाद शुल्क की चोरी को रोकने में काफी मदद मिलेगी।

262. पिछले वर्ष, मैंने विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से चले आ रहे विवादों और मुकदमों, जिनसे राजस्व अवरूद्ध होता है तथा प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हैं, के निपटान के लिए विवादों का समाधान योजना शुरू की। इस योजना को एन्हांसमेंट देय राशि के संबंध में एचएसआईआईडीसी, एचएसवीपी तथा खनन क्षेत्र में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। मैं पुराने वैट बकाया के निपटान के लिए एकमुश्त योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस योजना के तहत, यदि मूल राशि और शेष ब्याज का भुगतान कर दिया गया है, उस स्थिति में ब्याज और जुर्माने के अनुपात में छूट प्रदान की जाएगी। आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा योजना अलग से अधिसूचित की जाएगी।

263. खनन क्षेत्र के प्रशासन में सुधार के लिए सरकार निरंतर नई तकनीकों की शुरुआत कर रही है। राज्यभर में खनिज के परिवहन के लिए ई–रवाना अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (एचएआरएसएसी) के माध्यम से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके खनन क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा

है। सभी स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा गया है। पारदर्शी तरीके से कीमत का पता लगाने के लिए ई–नीलामी शुरू की गई है। खनन क्षेत्र की नियामक व्यवस्था को सरल बनाया गया है, जिससे नए मुकदमों और विवादों में काफी हद तक कमी आने की संभावना है। खनन क्षेत्र में लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान और निपटान के लिए सरकार ने 'विवादों का समाधान' योजना के तहत मुकदमेबाजी और देय राशि की वसूली के मौजूदा मामलों के निपटान के लिए एक योजना अधिसूचित की है। यह योजना 15 मार्च, 2022 तक चालू है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन उपायों से खनन क्षेत्र से राजस्व में मजबूती आई है और इसके 2022–23 में जारी रहने की संभावना है।

पर्यटन, पुरातत्व, कला एवं संस्कृति

264. कुरुक्षेत्र एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। कुरुक्षेत्र में एक थीम पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर महाभारत के युद्ध को प्रदर्शित किया जाएगा। सरकार ने लगभग 205 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की परियोजना को स्वीकृति दे दी है। कृष्णा सर्किट योजना के तहत, भारत सरकार की 97.34 करोड़ रुपये की सहायता से श्रीमद्भगवद्गीता और महाभारत से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर 3–डी मल्टीमीडिया शो, भित्ति चित्रों और कलाकृतियों, परिक्रमापथ और ब्रह्मसरोवर के अग्रभाग में लाइटिंग का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है।

265. पवित्र सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए सोम नदी पर बनाये जा रहे बांध के साथ तीर्थस्थल जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना के तहत आदि बद्री मंदिरों के विकास और तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए 52 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की परियोजना प्रस्तुत की गई है। यह हमारी सरस्वती–सिंधु विरासत को पुनः खोजने की एक बड़ी परियोजना का हिस्सा होगा।

266. बहादुर सिखों की राजधानी लोहगढ़ की महिमा और निडर शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर की विरासत को संरक्षित करने हेतु लोहगढ़ किले के जीर्णोद्धार के लिए अलग से एक परियोजना बनाई जा रही है। इस स्थल को पर्यटक केंद्र के रूप में उभारने के लिए एक सिख हैरिटेज संग्रहालय, एक मार्शल आर्ट संग्रहालय और अन्य आकर्षण स्थापित किए जायेंगे।

267. भारत में पिंजौर के निकट यादविन्द्रा उद्यान पूर्व युग के कुछ शेष उद्यानों में से एक है। इस अनोखे उद्यान का जीर्णोद्धार करने और इसे

पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए आगा खान फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस शांतिपूर्ण और सौंदर्य स्थल पर सूरजकुंड शिल्प मेला की तर्ज पर लाइट एंड साउंड शो तथा एक भक्ति संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा।

268. सुरजकुण्ड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक ताने–बाने की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। हालाँकि, मेला स्थल का उपयोग वर्ष में केवल 15 दिनों के लिए किया जाता है। सरकार कलाकारों, कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु नवंबर माह में एक और मेला आयोजित करने के लिए मेला स्थल पर आधारभूत संरचना का उपयोग करेगी।

269. सरकार ने सितंबर, 2021 में एक 'होम स्टे स्कीम' अधिसूचित की है, जिसके तहत मालिक अब पर्यटकों और मेहमानों को अपने घरों में व्यावसायिक आधार पर आवास की पेशकश कर सकते हैं। पर्यटकों के पास होटलों के अलावा एक वैकल्पिक आवास का विकल्प होगा, जहां वे स्थानीय परिवारों के साथ उनके घरों में रह सकते हैं और सही मायने में स्थानीय संस्कृति और व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं।

270. पंचकूला में पर्यटन के विकास के लिए मोरनी में टिक्कर ताल को साहसिक खेल गतिविधियों के संभावित स्थल के रूप में चिह्न्ति किया गया है। इससे पर्यटकों को मोरनी के प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का महेंद्रगढ़ जिले में ऋषि च्यवन के प्राचीन आश्रम स्थल धोसी हिल्स, जो भारत में केवल 4 विलुप्त ज्वालामुखियों में से एक है, को प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। दक्षिण हरियाणा में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यहां एक रोप–वे, वेलनेस सेंटर और पैरा–ग्लाइडिंग व रॉक क्लाइम्बिंग जैसे साहसिक खेलों के साथ–साथ महेंद्रगढ़ जिले में महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों के गाइडिड–टूर की योजना बनाई जाएगी।

271. पंचकूला के सेक्टर 5 में राज्य पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस संग्रहालय में राज्य की पुरातत्व कलाकृतियों को सहेज कर रखा जाएगा जो हमारी पुरानी विरासत को दर्शाएगा।

272. राखी गढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र के प्रमुख स्थलों में से एक के रूप में माना गया है और यह ऐसा सबसे बड़ा स्थल है। यह स्थल कानून के तहत सुरक्षित है और भारत सरकार द्वारा एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में घोषित किया गया है। सरकार द्वारा राखी–गढ़ी में एक साइट म्यूज़ियम एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक विकास होगा और पर्यटन तथा पुरातात्विक मानचित्र पर हरियाणा को एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा। जिला फतेहाबाद के कुणाल में पूर्व–हड़प्पा स्थल पर भी एक साइट संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है।

273. गुरुकुल, झज्जर के स्वामी ओमानंद जी ने प्राचीन ऐतिहासिक कलाकृतियों जैसे दुर्लभ सिक्के, टेराकोटा, प्राचीन मूर्तियों, पांडुलिपियों आदि को एकत्रित करने के लिए अपना अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनके जीवनभर के प्रयासों की स्मृति और सहभागिता की भावना से, सरकार झज्जर में उनके नाम पर सबसे बड़ा संग्रहालय– स्वामी ओमानंद सरस्वती राजकीय संग्रहालय की स्थापना करेगी, जिसमें लगभग 1.8 लाख कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। मैं गुरुकुल का आभारी हूँ, जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अपनी विरासत को प्रदर्शित करने हेतु सरकार के साथ साझेदारी करने के लिए आगे आए हैं।

274. हरियाणा की समृद्ध विरासत के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार ने 100 सरकारी स्कूलों में हेरिटेज कॉर्नर स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है।

275. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में पर्यटन, पुरातत्व, कला एवं संस्कृति क्षेत्र के लिए 310.24 आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों पर 55.1 प्रतिशत की वृद्धि है।

शासन और लोक प्रशासन

276. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई बड़े पैमाने पर मानचित्रण (लार्ज स्केल मैपिंग) परियोजना का एक चरण अब पूरा होने वाला है। स्वामित्व योजना के तहत गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए गांवों के सभी आबादी क्षेत्रों की ड्रोन आधारित इमेजिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष प्रक्रियाएं चल रही हैं और इनके जल्द ही पूरा होने की संभावना है। इसके साथ ही इतिहास में पहली बार, ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी देह के अंदर लोगों को उनकी संपत्ति का अधिकार देने का प्रथम उद्देश्य पूरा होगा।

277. बड़े पैमाने पर मानचित्रण (लार्ज स्केल मैपिंग) परियोजना के तहत राजस्व संपदाएं और शहरी भूमि में कृषि भूमि की ड्रोन आधारित मानचित्रण का कार्य अब शुरू हो गया है। इस कार्य के साथ ही, भू–अभिलेखों को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने के लिए तथा भू–अभिलेखों के आधार पर योजनाओं और सेवाओं के सरलीकृत कार्यान्वयन को सक्षम करने हेतु डिजिटल रूप से संदर्भित करने के लिए भू–अभिलेखों की पुनर्रचना की जा रही है।

278. राज्य सरकार ने सभी 22 जिलों में आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष (मॉर्डन रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम) स्थापित किए हैं। इससे पुराने रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने में मदद हुई है जो अब एक केंद्रीय सर्वर में सुरक्षित और संरक्षित हैं और लोग कार्यालयों में जाने के बजाय वेब हैलरिस सिस्टम के माध्यम से इन रिकॉर्ड को प्राप्त कर सकते हैं।

279. बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है। यह न्यास व्यापारियों को संपत्ति के नुकसान से बचाने के लिए, सरकार के कर्मचारियों और जोखिम–भरे व्यवसायों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को बीमा कवर प्रदान करेगा। न्यास सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी बीमा संबंधी योजनाओं का प्रबंधन भी करेगा और बीमा कंपनियों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। न्यास बीमा कंपनियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के समाधान के लिए जिला और उप–मंडल स्तर पर क्लेम ग्रीवांसिस सेटलमेंट प्रोसेस की स्थापना करेगा।

280. माननीय अध्यक्ष महोदय। सरकार में ऐसे कर्मचारी हैं जो दुर्भाग्य से अपनी सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाते हैं। ऐसे कर्मचारियों की सहायता के लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि ऐसे कर्मचारी जो अपनी सेवा के दौरान न्यूनतम 70 प्रतिशत विकलांगता के साथ दिव्यांग हो जाते हैं, उन्हें एक्स–ग्रेसिया के नियमों के तहत अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए कवर किया जाएगा। इससे परिवार आश्वस्त होंगे कि कठिन समय में उनको सहयोग मिलेगा।

281. परिवारों की सहायता के लिए कल्याण के उपाय के रूप में, सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्परों, और अनुबंध के आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से तैनात अन्य सभी मैनपॉवर के परिवारों

को मृत्यु के मामले में कुल 3 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करेगी। सरकार वेतन सीमा के बावजूद एच.के.आर.एन. के माध्यम से अनुबंध आधार पर तैनात सभी मैनपॉवर का कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदान ईपीएफ खातों में सीधे पहुंचाया जाना सुनिश्चित करेगी।

282. मैंने अपने पिछले बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार की सभी सरकारी कर्मचारियों और हरियाणा में रहने वाले सरकार के पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा उपचार के लिए एक व्यापक कैशलेस प्रणाली स्थापित करने की योजना है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है और अगले 6 महीनों में व्यापक कैशलेस प्रणाली लागू की जाएगी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चिकित्सा उपचार के लिए कैशलेस प्रणाली को बोर्ड, निगमों और अन्य संवैधानिक प्राधिकरण के नियमित कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा, जो बाद में भुगतान के आधार पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति है।

283. सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य संवैधानिक प्राधिकरण के सभी सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के अनुबंधों के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म के रूप में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल अनुमान तैयार करने, निविदा, आवंटन, कार्य मूल्यांकन, बिल अनुमोदन और भुगतान से संबंधित सभी अनुबंधित कार्यों को कवर करता है। अदायगी में विलम्ब होने पर ब्याज का भुगतान करने तथा शीघ्र भुगतान करने पर ब्याज वसूली का भी प्रावधान किया गया है। पोर्टल को सीधे ट्रेजरी से जोड़ा गया है ताकि ठेकेदारों को भुगतान सीधे बैंक खाते में ऑनलाइन किया जा सके। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल जवाबदेह, पारदर्शी और उत्तरदायी सरकार की दिशा में एक और मील का पत्थर है।

284. मुख्यमंत्री राहत कोष का उपयोग चिकित्सा उपचार और अन्य आपात स्थितियों के मामले में जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिस स्थिति में सामान्य सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं है। मैंने पाया है कि अनुमोदन प्रक्रिया इतनी कठिन व थकाने वाली और केंद्रीकृत है कि समय पर योग्य लाभार्थी को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। मैंने निर्देश दिये कि अनुमोदन की प्रक्रिया को जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए, जिसमें जनप्रतिनिधियों जैसे सांसदों, विधायकों और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों की भागीदारी भी होनी

चाहिए। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 5 मार्च, 2022 को नया तंत्र शुरू किया गया है। अब मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा उपचार हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों की अनुशंसा करने और अनुमोदन करने में सम्मानित सदन के सदस्यों की भूमिका होगी।

285. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में शासन और लोक प्रशासन क्षेत्रों को 20149.53 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार

286. यह बहुत गर्व की बात है कि हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और सरकारी प्रक्रियाओं में आईटी आधारित पहल शुरू करने में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है, जिससे प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और प्रणाली में अधिक दक्षता एवं पारदर्शिता लाई जा रही है। सरकार में प्रौद्योगिकी की आवश्यकताएं निजी विक्रेताओं की सहायता के बिना पर्याप्त रूप से प्रदान हों, यह सुनिश्चित करने के लिए इन–हाऊस क्षमता निर्माण किया गया। खरीद प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए ई–खरीद पोर्टल इन–हाऊस विकसित किया गया है और किसानों को सीधे भुगतान करने के लिए इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।

287. अंत्योदय सरल प्लेटफॉर्म राज्य के लोगों को सेवाएं प्रदान करने का एक गेट–वे बन गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 557 योजनाएं और सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

288. राज्य में डाटा सेंटर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार डाटा सेंटर नीति जारी करने के अंतिम चरण में है। मुझे आशा है कि अप्रैल 2022 तक सरकार द्वारा नीति को अधिसूचित कर दिया जाएगा।

289. भारत सरकार की भारत नेट परियोजना के तहत भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) द्वारा राज्य में 6204 ग्राम पंचायतों (जीपी) में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है, जिन्हें सेवा के लिए तैयार घोषित किया गया है।

290. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को 109.87 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों पर 61.9 प्रतिशत की वृद्धि है।

सूचना, जनसंपर्क और भाषा

291. एक जीवंत लोकतंत्र में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लोगों की आवाज के रूप में और लोगों व सरकार के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता है।

292. प्रिंट मीडिया इंटरफेस को सुव्यवस्थित करने के लिए, विज्ञापनों के लिए रिलीज़ ऑर्डर जारी करने, प्रकाशनों द्वारा भेजे जाने वाले बिलों और ट्रेजरी से जुड़े भुगतानों की पूरी प्रक्रिया को एक इन–हाउस विकसित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल किया गया है। देरी से भुगतान की समस्या अब बीते दिनों की बात हो गई है।

293. मीडियाकर्मियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सरकार ने 20 वर्ष के अनुभव वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए एक योजना लागू की है। 147 मीडियाकर्मियों को पेंशन स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को 5 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है।

294. मैं विभिन्न भाषाओं जैसे संस्कृत, उर्दू और पंजाबी तथा साहित्य के प्रचार के लिए स्थापित अकादमियों में सुधार करने का प्रस्ताव करता हूँ। धीरा खंडेलवाल समिति की रिपोर्ट जिसमें सुधारों के लिए एक रोडमैप का सुझाव दिया गया था, को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इसके फलस्वरूप अधिसूचना शीघ्र ही जारी होने की उम्मीद है। इन सुधारों के माध्यम से, मुझे आशा है कि राज्य में भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने तथा हमारे साहित्यकारों और कवियों के सम्मान के लिए जोरदार प्रयास होगा।

295. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में सूचना और जनसंपर्क क्षेत्र को 348.41 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो चालू वर्ष के बजट अनुमानों पर 24 प्रतिशत की वृद्धि है।

पुलिस

296. यह सम्मान की बात है कि हरियाणा पुलिस को भारत के 'राष्ट्रपति कलर' (प्रेसिडेंट कलर) पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एकिकृत सिंगल इमरजेंसी नंबर डायल– 112, 12 जुलाई, 2021 को लाइव हो गया था।

जनवरी, 2022 में राज्यभर में औसत रिस्पॉन्स समय 14 मिनट 42 सेकंड था। डायल–112 के त्वरित रिस्पॉन्स से लोगों में यह विश्वास पैदा होगा कि पुलिस सहित सरकारी एजेंसियां 15 मिनट के भीतर आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए पहुँच जाएगी। मुझे उम्मीद है कि समय के साथ यह रिस्पॉन्स समय और कम होकर 5 मिनट हो जाएगा। राज्य के नागरिकों की सुविधा के लिए अन्य हेल्पलाइनों को भी डायल–112 के साथ जोड़ा जा रहा है।

297. नशीली दवाओं का उपयोग हमारे समाज के लिए खतरा है, इस खतरे से लड़ने और निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने के लिए, सरकार ने हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की है। सभी संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। राज्य की पूरी ताकत के साथ चुनौती का डटकर मुकाबला किया जा सकता है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और इसे समाज से जड़ से मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

298. 381 पुलिस स्टेशनों और 357 संचालित पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव है। अपराध करने के लिए प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग और ऐसे अपराधों की जांच में विशेषज्ञता विकसित करने की आवश्यकता के मद्देनजर 2022–23 में 21 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है।

299. पुलिसकर्मियों की तनावपूर्ण कामकाजी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने हाल ही में 35 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुलिसकर्मियों के निःशुल्क द्विवार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा शुरू की है। सरकार 2022–23 में 1000 महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती करेगी ताकि हरियाणा पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुल बल का 15 प्रतिशत तक पहुँच जाए। सरकार पुलिस कर्मियों के लिए 2000 नई आवासीय इकाईयां बनाएगी, इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

300. मैं वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में पुलिस और न्याय प्रशासन के लिए 8191.16 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो चालू वर्ष के बजट अनुमानों पर 11.24 प्रतिशत की वृद्धि है।

निष्कर्ष

301. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट पिछले दो वर्षों से वैश्विक मुद्दों से उभर रहे एक नए हरियाणा के लिए आशाओं, आकांक्षाओं और अवसरों को प्रतिबिम्बित करता है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पिछले दो महीनों में अपने बहुमूल्य सुझावों से मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे यकीन है कि आपके समक्ष प्रस्तुत इस बजट में अधिकतर सुझावों को शामिल किया गया है।

302. हमारा विज़न है कि यह नया हरियाणा विगत की समस्याओं से उबरकर हमारे सामूहिक सपनों को नई उड़ान दे। इसके लिए इस बात की आवश्यकता है कि राज्य के वित्त का विवेकपूर्ण प्रबंधन हो, उन लोगों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, जिन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए सहायता की आवश्यकता है। साथ ही, सतत विकास उपायों के माध्यम से भविष्य पर नज़र रखना भी आवश्यक है। आगामी दशक में 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' के साथ 'हरियाणा एक–हरियाणवी एक' भी गुँजायमान होगा।

303. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि यह गरिमामयी सदन अपने सम्मानित सदस्यों की समितियों में बजट, इसके विज़न और इसकी विषय–वस्तु पर विचार–विमर्श करने के एक नये प्रयोग का सूत्रपात कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इन समितियों में परिचर्चा और तत्पश्चात सदन के पटल पर परिचर्चा तथा विचार–विमर्श से यह बजट और अधिक प्रभावी एवं फलदायी होगा।

304. इन्हीं शब्दों और इस आशा से कि हम मिलकर हरियाणा को एक नए भविष्य की ओर ले जाएंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022–23 का बजट सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द !